

संक्षेप में

आदित्य बिड़ला कैपिटल

स्वर्ण ऋण कारोबार में

आदित्य बिड़ला कैपिटल का गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार अब गोल्ड लोन के क्षेत्र में भी उतर गया है। कंपनी इसके लिए अगले तीन साल के दौरान 1,000 शाखाएं खोलने की योजना बन रही है। इससे पहले एक अन्य बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) टाटा कैपिटल ने पिछले महीने केरलम की योगक्षेम लोन्स में लगभग 89 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदकर स्वर्ण ऋण कारोबार में प्रवेश किया था। पिछले कुछ सालों के दौरान स्वर्ण ऋण कारोबार में जबरदस्त तेजी देखी गई है। इसलिए अलग-अलग तरह के कारोबार करने वाली एनबीएफसी इस श्रेणी में मौजूदगी बढ़ा रही हैं। श्रीराम फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज फाइनेंस और पीरामल फाइनेंस जैसी कंपनियां भी अपना गोल्ड लोन बिजनेस बढ़ाने पर विचार कर रही हैं।

सीगल इंडिया को मिले

2,423 करोड़ रु के ठेके

बुनियादी ढांचा विकास कंपनी सीगल इंडिया को उसके संयुक्त उद्यमों के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अरुणाचल प्रदेश में एनएच-913 पर सड़क निर्माण के लिए 2,423.70 करोड़ रुपये के पांच ठेके मिले हैं। कंपनी के गुरुवार को जारी बयान के अनुसार सीगल इंडिया लिमिटेड और राजिंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम को एनएच-913 के 'बाइले-मिगिंग' खंड में 17.812 किलोमीटर से 55.377 किलोमीटर तक के हिस्से में सड़क निर्माण के लिए 274.08 करोड़ रुपये का इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) ठेका मिला है। इस संयुक्त उद्यम में सीगल इंडिया की 70 प्रतिशत और राजिंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। परियोजना में 48 महीने की निर्माण अवधि और उसके बाद पांच साल की रखरखाव अवधि शामिल है। इसके अलावा, सीगल इंडिया को सुशी इन्फ्रा एंड माइनिंग लिमिटेड के साथ अपने संयुक्त उद्यम के माध्यम से चार ठेके मिले हैं। इनकी कुल राशि 2,149.62 करोड़ रुपये है।

इंडियन होटल्स ने खोला

लखनऊ में ताज पैलेस

टाटा समूह के स्वामित्व वाली इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने लखनऊ में 181 कमरों वाला ताज पैलेस होटल खोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को होटल का उद्घाटन किया। आईएचसीएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी पुनीत चटवाल ने कहा, ‘जैसे-जैसे भारत का आर्थिक और पर्यटन परिदृश्य लगातार विस्तृत हो रहा है, बुनियादी ढांचे के विकास, बढ़ते निवेश और पर्यटकों की बढ़ती संख्या से प्रेरित होकर लखनऊ जैसे शहर विकास के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं।' चटवाल ने कहा कि शहर में दूसरे ताज होटल की शुरुआत क्षेत्र की प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 AURANGABAD SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ASCDCL)			
REQUEST FOR PROPOSAL			
ASCDCL invites firms possessing relevant capabilities to respond to this RFP for following:			
Sr. No.	Title and Tender ID No	Bid Due Date	Bid Opening Date
1	hvac Works for Sant Tukaram Maharaj Nityagruh Tender ID- 2026_ASCDC_1329674_1	26/08/2026 17:00:00	27/08/2026 17:00:00
The tender documents can be downloaded from https://www.mahatenders.gov.in			
Sd/- Chief Executive Officer Aurangabad Smart City Development Corporation Limited			

स्ट्रेच एसेट्स रेजोल्यूशन ग्रुप, कॉर्पोरेट सेंटर,
द आर्केड, दूसरी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड केंद्र, कफ पेरेड, मुंबई - 400005

**ई-नीलामी के माध्यम से पात्र खरीदारों
(अनुमत स्थानान्तरणकर्ता/एनबीएफसी/ बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ एआरसी) को
स्ट्रेचड लोन एक्सपोजर का हस्तांतरण**

भारतीय स्टेट बैंक पात्र प्रतिभागियों से, भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य नियामकों द्वारा जारी लार्ग विनियमों के अधीन, 1 (एक) खाले के ₹27.27 करोड़ (मात्र सत्ताईस करोड़ सत्ताईस लाख रुपये) के मूल निधि आधारित बकाया के स्ट्रेचड लोन एक्सपोजर के हस्तांतरण हेतु 'जैसा है जहाँ है'; 'जैसा है वैसे है'; 'जो कुछ है वही'; और 'बिना किसी उत्तरदायित्व के आधार पर' ई-नीलामी के माध्यम से, रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

सभी इच्छुक पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 'रुचि की अभिव्यक्ति' के माध्यम से ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रस्तुत करें। पात्र प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे गैर-प्रकटीकरण समझौता (वेब नोटिस में उल्लिखित समझौता के अनुसार) निष्पादित करें। यदि गैर-प्रकटीकरण समझौता निष्पादित नहीं होता है, तो कृपया ई-मेल आईडी dgm.sr@sbci.co.in पर संपर्क करें। कृपया बैंक की वेब साइट <https://sbi.bank.in> पर जाएं और अधिक विवरण "SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT" में लिंक पर बिलक करें (वेब नोटिस)।

कृपया ध्यान दें कि बैंक किसी भी चरण पर प्रस्तावित ई-नीलामी को आगे न बढ़ाने या ई-नीलामी की तिथि अथवा किसी भी नियम व शर्तों में बिना कोई कारण बताए बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे किसी भी बदलाव की सूचना <https://sbi.bank.in> वेबसाइट पर "SBI in the news > Auction Notices > ARC & DRT" लिंक के तहत संशोधन सूचना (Corrigendum) के रूप में दी जाएगी. इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

स्थान: मुंबई

तिथि: 21.08.2026

द्वारा जारी

उप- महाप्रबंधक (क्रेडिट और एआरसी)

भारत में पहला ब्रांडेड आवास पेश करेगी विनडम होटल्स

गुलवीन औलख

नई दिल्ली, 20 अगस्त

अमेरिका स्थित विनडम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स इस साल के अंत तक भारत में अपना पहला ब्रांडेड रेजिडेंस पेश करने की तैयारी में है। कंपनी के यूरोप, पश्चिम एशिया, यूरेशिया और अफ्रीका (ईएमईए) मामलों के अध्यक्ष दिमित्रीस मानिकिस ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को इसकी जानकारी दी।

गुरुवार को, विनडम ने भारत में अपना ‘विन्या हाउस’ ब्रांड पेश किया। नैस्टेक में सूचीबद्ध यह होटल फर्म ‘रमाडा’ और ‘डेज इन’ जैसे ब्रांडों का संचालन करती है और उसने वर्ष 2028 तक होटलों और कमरों की संख्या के हिसाब से अपनी उपस्थिति को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, ‘हम पहले से ही लोकेशन की तलाश में लग गए हैं। हम साझेदारों पर भी नजर बनाए हुए हैं। हमारा पहला साझेदार साल के आखिर तक बन जाएगा।’ गुरुवार को एक बातचीत में मानिकिस ने कहा, ‘मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने इलाके के दूसरे हिस्सों में ब्रांडेड घरों में जो वृद्धि देखी है, उसका फायदा उठाना चाहता हूं और यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि

भारत में इंसुलिन एनालॉग का विपणन करेगी मैनकाइंड फार्मा

संकेत कौल

नई दिल्ली, 20 अगस्त

भारत की दवा विनिर्माता मैनकाइंड फार्मा ने चीन की चोंगकिंग चेनआन बायो फार्मास्युटिकल्स के साथ खास लाइसेंसिंग समझौता किया है। इसके तहत वह भारतीय बाजार में उसके दो असल इंसुलिन एनालॉग्स की बिक्री करेगी। इस साझेदारी में इंजेक्शन से दी जाने वाली दो दवाओं - इंसुलिन डेग्लुडेक तथा इंसुलिन डेग्लुडेक व एस्पार्ट के संयोजन की बिक्री शामिल है। इन दवाओं का इस्तेमाल टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज बीमारी के इलाज में किया जाता है। इस समझौते का मकसद मधुमेह श्रेणी में मैनकाइंड की मौजूदगी मजबूत करना और इंजेक्शन वाले आधुनिक उपचारों के पोर्टफोलियो का विस्तार करना है। उद्योग के सूर्त्रों का कहना है कि मैनकाइंड इन इंसुलिन



चीन की चोंगकिंग चेनआन बायो फार्मा के साथ मैनकाइंड फार्मा ने विशेष लाइसेंसिंग समझौता किया है

एनालॉग की कीमत प्रतिस्पर्धी रख सकती है। इंसुलिन डेग्लुडेक और इंसुलिन एस्पार्ट के संयोजन को भारत में आम तौर पर नोवो नोर्डिस्क राइजोडेग के नाम से बेचती है। 3 मिलीलीटर पेनफिल या कार्ट्रिज वाले इस संयोजन के दाम अमूमन 1,200 रुपये से 1,600 रुपये के बीच होते हैं। मैनकाइंड फार्मा के वरिष्ठ अध्यक्ष

(बिक्री और विपणन) आतिश मजूमदार ने कहा, ‘यह साझेदारी भारत में मरीजों की आधुनिक उपचार तक पहुंच बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता मजबूत करती है और साथ ही इंजेक्टबल डायबिटीज श्रेणी में मौजूदगी का विस्तार करती है।’

जुलाई 2026 में मूविंग एनुअल टर्नओवर (एमएटीयानी पिछले 12 महीनों का राजस्व) के आधार पर डायबिटीज के इलाज से मैनकाइंड की बिक्री से होने वाली कमाई 1,073 करोड़ रुपये दर्ज की गई। फिलहाल डायबिटीज श्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 4.4 प्रतिशत है।

कंपनी के प्रवक्ता ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हालांकि वर्तमान बिक्री का अधिकांश हिस्सा ओरल एंटी-डायबिटिक दवाओं से है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में इंसुलिन जैसी इंजेक्टबल दवाएं भी इस उपचार क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगी।’

कंपनी के प्रवक्ता ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हालांकि वर्तमान बिक्री का अधिकांश हिस्सा ओरल एंटी-डायबिटिक दवाओं से है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में इंसुलिन जैसी इंजेक्टबल दवाएं भी इस उपचार क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगी।’

कंपनी के प्रवक्ता ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हालांकि वर्तमान बिक्री का अधिकांश हिस्सा ओरल एंटी-डायबिटिक दवाओं से है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में इंसुलिन जैसी इंजेक्टबल दवाएं भी इस उपचार क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगी।’

कंपनी के प्रवक्ता ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हालांकि वर्तमान बिक्री का अधिकांश हिस्सा ओरल एंटी-डायबिटिक दवाओं से है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में इंसुलिन जैसी इंजेक्टबल दवाएं भी इस उपचार क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगी।’

कंपनी के प्रवक्ता ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हालांकि वर्तमान बिक्री का अधिकांश हिस्सा ओरल एंटी-डायबिटिक दवाओं से है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में इंसुलिन जैसी इंजेक्टबल दवाएं भी इस उपचार क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगी।’

ऐडफैक्टर्स ने सीनेट-एसएचजे में लिया बहुलांश हिस्सा

देश की सबसे बड़ी जनसंपर्क कंपनी ऐडफैक्टर्स पीआर ने ऑस्ट्रेलिया की संचार सलाहकार कंपनी सीनेट-एसएचजे में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इस सौदे के साथ कंपनी ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी का विस्तार किया है। दोनों कंपनियों ने गुरुवार को संयुक्त बयान में कहा,

नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

रही है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, ‘2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला

मुंबई | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

नई दिल्ली, 20 अगस्त

एमपीसी के सख्त रुख वाले मिनट्स से बॉन्ड यील्ड बढ़ी

अंजलि कुमारी
मुंबई, 20 अगस्त

सरकारी बॉन्ड यील्ड में गुरुवार को तेजी आई। इसकी वजह बुधवार शाम जारी हुई भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के मिनट्स (ब्योरे) से मिले सख्त रुख के संकेत और कच्चे तेल की कीमतों में दिन में हुई तेज बढ़ोतरी थी। इस कारण बड़े पैमाने पर बिकवाली हुई। डीलरों ने यह जानकारी दी।

बैंचमार्क 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर यील्ड 6.87 फीसदी पर बंद हुई। एक दिन पहले यह 6.82 फीसदी पर बंद हुई थी। 5 साल के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड 7 आधार अंक बढ़कर 6.52 फीसदी पर पहुंच गई।

बाजार के प्रतिभागियों का कहना है कि बाजार अब अक्टूबर की शुरुआत में होने वाली आगली नीतिगत समीक्षा में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना को ध्यान में रख रहा है। उन्होंने बताया कि एमपीसी की चर्चा तब हुई थी, जब कच्चा तेल 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रहा था और उस स्तर पर कमेटी का रुख नरम था। अब कच्चे तेल की कीमत 94 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। इसलिए बाजार के प्रतिभागियों का मानना है कि नीति को सख्त करने की बात और मजबूत हुई है।

आईसीआईसीआई बैंक के अर्थशास्त्रियों ने एक नोट में कहा, एमपीसी की बैठक के मिनट्स को सख्त रुख वाला माना जाना चाहिए जबकि नीतिगत बयान को नरम रूख वाला माना गया था। इन दोनों में बड़ा अंतर यह है कि आने वाले महीनों में मजबूत मांग के कारण महंगाई के जोखिमों के व्यापक होने पर जोर दिया गया है।

अब बाज़ार का ध्यान अगस्त और सितंबर के सीपीआई महंगाई के आंकड़ों पर होगा, जिनसे



रुख में बदलाव

■ नीतिगत बैठक के बाद हुई बातचीत में एमपीसी की टिप्पणी का लहजा काफी नरम लग रहा था जबकि बाजार ज्यादा सख्त रुख की उम्मीद कर रहा था

■ मिनट्स से पता चला कि लहजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी बातों की तुलना में काफी ज्यादा सख्त था

आने वाले समय में ब्याज दरों की संभावनाएं तय हो सकती हैं। डीलरों का कहना है कि अगर महंगाई और बढ़ती है तो ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना और मजबूत हो जाएगी।

एक प्राइमरी डीलरशिप के डीलर ने कहा, बैठक के मिनट्स के लहजे ने चौंका दिया। नीतिगत बैठक के बाद हुई बातचीत में एमपीसी की टिप्पणी का लहजा काफी नरम लग रहा था जबकि बाजार ज्यादा सख्त रुख की उम्मीद कर

रहा था। मिनट्स से पता चला कि लहजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी बातों की तुलना में काफी ज्यादा सख्त था। इस वजह से लोगों ने अपनी पोजीशन बदली और सौदे काटे।

बाजार के प्रतिभागियों का कहना है कि ओवरनाइट इंडेक्स स्वीप (ओआईएस) कर्व के हिसाब से अगली नीतिगत बैठक में कम से कम 20 आधार अंकों की दर बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही, यह कर्व अगले तीन महीनों में कुल मिलाकर 25 आधार अंकों की सख्ती का संकेत दे रहा है। यह स्थिति एमपीसी की मिनट्स के बाद बॉन्ड बाजार में दिखे सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीद के अनुरूप है और इसके साथ ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक यील्ड में मजबूती का दबाव भी बना हुआ है।

गुरुवार को एक साल की ओआईएस दर, जो निकट भविष्य में ब्याज दरों के अनुमान का सबसे अहम पैमाना है, 13 आधार अंक बढ़कर 5.94 फीसदी पर बंद हुई। इसके अलावा, फेडरल रिजर्व के बॉन्ड खरीदने के ऐलान के बाद भी अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और इससे मिली राहत कुछ ही समय के लिए रही। एक प्राइवेट बैंक के ट्रेजरी प्रमुख ने कहा, फेड की ओर से बॉन्ड खरीदने के ऐलान के बावजूद अमेरिकी यील्ड धीरे-धीरे बढ़ रही है। बुधवार को इसमें 5 आधार अंक की राहत मिली थी, लेकिन आज दिन के दौरान यह फिर से बढ़ गई।

हाल ही में पूंजी आने के बावजूद रुपये को बहुत कम राहत मिली है और वैश्विक संकेतों की वजह से यह दबाव में बना हुआ है। हालांकि एफसीएनआर (बी) योजना के जरिये आईरकम ने कुछ सहारा दिया है, लेकिन रुपये की वैल्यू में कोई खास बढ़ोतरी लाने के लिए यह काफी नहीं रहा है। स्थानीय मुद्रा 95.71 प्रति डॉलर पर बंद हुई जबकि एकट दिन पहले यह 95.76 प्रति डॉलर पर बंद हुई थी।

निफ्टी में गिरावट का सिलसिला थमा

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 20 अगस्त

गुरुवार को वैश्विक बाजारों के साथ-साथ भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी देखी गई। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ओर से लंबी अवधि वाले बॉन्डों की यील्ड में हो रही बढ़ोतरी को रोकने की योजना की घोषणा के बाद बैंचमार्क निफ्टी में लगातार सात दिनों से हो रही गिरावट का सिलसिला थम गया।

निफ्टी 50 इंडेक्स 154 अंक यानी 0.64 फीसदी की बढ़त के साथ 24,232 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 628 अंक यानी 0.82 फीसदी चढ़कर 77,538 पर बंद हुआ। सेंसेक्स डेरिवेटिव अनुबंधों की साप्ताहिक एक्सपायरी के दिन दोनों बैंचमार्क के बीच 0.18 फीसदी अंक का अंतर रहा। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 2.7 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 491 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

17 अगस्त को 30 साल वाली अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 5.31 फीसदी पर पहुंच गई। यह उसका कई दशकों का उच्चतम स्तर था, लेकिन बुधवार को अमेरिकी ट्रेजरी के यह कहने के बाद कि वह अपने लिक्विडिटी सपोर्ट बायबैक ऑपरेशन का आकार कम से कम दोगुना कर देगा, यह यील्ड घटकर 5.23 फीसदी के आसपास आ गई। हालांकि, गुरुवार की यील्ड में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और यह चार आधार अंक ऊपर चढ़ गई।



इस बीच, ब्रेट कूड 2.51 फीसदी बढ़कर 92.29 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द शांति समझौते की उम्मीदें कम हैं। कूड की ऊंची कीमतें भारत के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं, जो अपनी तेल की जरूरतों का 80 फीसदी से ज्यादा आयात करता है। हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी की घोषणा के बाद मनोबल बेहतर हुआ है। लेकिन ऊर्जा की ऊंची लागत के कारण घरेलू शेयरों के लिए जोखिम अभी भी ज्यादा बना हुआ है।

आगे चलकर पश्चिम एशिया में भूराजनीतिक घटनाक्रम और अगले हफ्ते जैक्सन हॉल इकॉनॉमिक सिम्पोजियम में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉश का भाषण बाजार की दिशा तय करेंगे।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, वैश्विक बॉन्ड यील्ड में तेजी रोकने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी के दखल से बाजार को बहुत जरूरी राहत मिली। इससे बाजार में जबरदस्त और व्यापक रिकवरी हुई।

घरेलू बाजार में हफ्ते भर से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। इस दखल का असर डॉलर पर पड़ा है। डॉलर कमजोर होने, रुपया मजबूत होने और यील्ड का दबाव घटने से उभरते बाजारों का आकर्षण बढ़ा है। रिकवरी सभी सेक्टर में देखी गई, जिसमें मुख्य रूप से आईटी और वित्तीय शेयरों में तेजी का योगदान रहा क्योंकि यील्ड में नरमी से खर्च को बढ़ावा मिलाता है।

नायर ने आगे कहा, निकट भविष्य का आउटलुक वैश्विक यील्ड, ऊर्जा की कीमतों और भूराजनीतिक घटनाक्रम की दिशा पर निर्भर करेगा। साथ ही, आय की रफ्तार और विदेशी निवेश को बनाए रखने के लिए लगातार स्थिरता की जरूरत होगी।

बाजार में चढ़ने व गिरने वाले शेयरों का अनुपात सकारात्मक रहा और बीएसई पर 2,373 शेयरों में तेजी आई जबकि 1,951 गिरावट के साथ बंद हुए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 583 करोड़ रुपये के शुद्ध बिकवाल रहे जबकि देसी संस्थागत निवेशकों ने 3,538 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीद से बाजार को सहारा दिया।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में शोध प्रमुख (वेलथ मैनेजमेंट) सिद्धार्थ खेमाके ने कहा, लगातार सात कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद वैल्यू बाईंग और वैश्विक बाजार से मिले मजबूत संकेतों के कारण भारतीय इक्विटी बाजार में मामूली रिकवरी के साथ उतार-चढ़ाव सीमित रहने की उम्मीद है।

बॉन्ड टोकनाइजेशन का परीक्षण शुरू करेगा सेबी

इस परीक्षण योजना में आरबीआई भी भागीदार

खुशबू तिवारी
मुंबई, 20 अगस्त

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) बॉन्ड के टोकनाइजेशन के लिए एक पायलट योजना बना रहा है। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि क्या शेयर्ड-लेजर टोकॉलजी से निपटान प्रक्रिया को तेज और ज्यादा फायल बनाया जा सकता है।

इस पायलट परियोजना को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि क्या शेयर्ड लेजर से प्रतिभूतियों और पैसे को एक साथ ट्रॉन्सफर किया जा सकता है, जिससे मिलान की लागत कम हो। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अमरजीत सिंह ने गुरुवार को कहा कि यह स्मार्ट अनुबंधों के जरिये ऑटोमेटेड कूपन पेमेंट और ब्याज जैसी अन्य चीजों की व्यवहार्यता पर भी गौर करेगा।

यह पहल कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में पहुंच, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए सेबी के प्रयासों का हिस्सा है। सिंह ने स्पष्ट किया

कि टोकनाइजेशन का उद्देश्य एक अलग ट्रेडिंग बाजार बनाना नहीं है, बल्कि यह आकलन करना है कि क्या टोकॉलजी मौजूदा बाजार को सरल, तेज और अधिक कुशल बना सकती है।

साथ ही सेबी कॉर्पोरेट बॉन्ड रीपो बाजार का दायरा बढ़ाने के उपायों की संभावना भी खंगाल रहा है, जो वर्तमान में समग्र रीपो बाजार का 1 प्रतिशत से भी कम है। सिंह ने कहा कि आमतौर पर एक दिन में कॉर्पोरेट बॉन्ड रीपो का कारोबार लगभग 6,000 करोड़ रुपये होता है।

नियामक प्रतिभूति उधार लेने-देने के साथ-साथ शॉर्ट सेलिंग के लिए सक्षम ढांचे के उपायों पर भी विचार कर रहा है ताकि इस सेगमेंट को व्यापक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ मुद्दे सेबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और इसके लिए नियामक संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है।

ये उपाय ऐसे समय में किए जा रहे हैं जब सेबी कॉर्पोरेट बॉन्डों के सेकेंडरी बाजार में तरलता सुधारना चाहता है।

वित्तीय शेयरों में बढ़ा एफपीआई का निवेश, आईटी में भी खरीद

अभिषेक कुमार
मुंबई, 20 अगस्त

अगस्त के पहले पखवाड़े में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय शेयरों में अपनी खरीदारी बढ़ाई। इसमें वित्तीय सेवा क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इस क्षेत्र में 1 से 15 अगस्त के बीच कुल 6,535 करोड़ रुपये का निवेश आया, जबकि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में 2,669 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी।

इसके बाद ऑटोमोबाइल और वाहन कलपुर्जा का स्थान रहा, जिनमें 4,405 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। उपभोक्ता सेवा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी जबरदस्त खरीदारी देखी गई। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में 3,298 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पर्सवीदा बने आईटी शेयरों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना जारी रखा और अगस्त के पहले पखवाड़े में इनमें 2,530 करोड़ रुपये का और निवेश आया।

2026 की पहली छमाही में एफपीआई मुख्य रूप से भारतीय आईटी शेयरों के शुद्ध बिकवाल बने रहे। इसकी वजह आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) से होने वाले बदलाव,



टोकॉलजी पर खर्च में कमी और राजस्व को लेकर अनिश्चितता जैसी चिंताएं थीं, जिनका असर इस क्षेत्र पर पड़ा। इस बिकवाली के कारण आईटी शेयरों में भारी गिरावट आई और 2026 की पहली छमाही में निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 30 फीसदी गिर गया।

हालांकि, जुलाई में वैश्विक एआई ट्रेड पलटने के साथ ही यह रुझान तेजी से बदल गया। एआई और सेमीकंडक्टर शेयरों के बहुत ज्यादा मूल्यंकन की बढ़ती वित्ताओं के कारण निवेशकों ने भारतीय आईटी सेवा कंपनियों की तुलनात्मक अपील पर फिर से विचार किया। आईटी का प्रदर्शन पहले काफी खराब रहा था। एफपीआई की खरीदारी के दम पर जुलाई में निफ्टी आईटी इंडेक्स में 16.7 फीसदी की बढ़त हुई।

एफपीआई के डिजिटल

हस्ताक्षर वाले पावर ऑफ अटॉर्नी को मंजूरी

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को जोड़ने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के मकसद से बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को एफपीआई द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी को स्वीकार करने की अनुमति दे दी। यह अनुमति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नियमों के मुताबिक दी गई है। सेबी ने एक परिपत्र में कहा, इससे पावर ऑफ अटॉर्नी के नोटराइजेशन, एपॉस्टिलाइजेशन या कॉसुलराइजेशन की जरूरत खत्म हो जाती है, जिससे एफपीआई को जोड़ने में लगने वाला कुल समय कम होता है और एफपीआई आवेदकों के लिए कारोबारी सुगमता बेहतर होती है। ये बदलाव गुरुवार से लागू हो गए हैं। बाजार नियामक ने पिछले कुछ सालों में पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया है, जिसमें कॉमन ऐप्लिकेशन फॉर्म और पंजीकरण दस्तावेज के लिए भारतीय डिजिटल सिग्नेचर के इस्तेमाल की अनुमति शामिल है।

सोने में बढ़त, चांदी भी उछली

राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई। कमजोर अमेरिकी डॉलर के बीच निवेशकों के बहुमुल्य धातुओं को और रुख करने से सोना 4,300 रुपये बढ़कर तीन महीने के उच्चतम स्तर 1.62 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी में 10,000 रुपये की उछाल आई।

भाषा

RUSHIL DECOR LIMITED
REGD. OFFICE: S. No. 149, Near Kalyanpura Patia, Village Itla, Gandhinagar Mansa Road, Ta. Mansa, Dist. Gandhinagar-382845, Gujarat, India.
Corporate Office: Rushil House, Near Neelkanth Green Bungalow, Off Sindhu Bhavan Road, Shilaj, Ahmedabad-380059, Gujarat, India.
PH: +91-79-61400400 | Fax: +91-79-61400401
Email: ipo@rushil.com | Website: www.rushil.com
CIN: L25209GJ1993PLC019532

NOTICE OF 32ND (THIRTY SECOND) ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

Notice is hereby given that in compliance with General Circular No.20/2020, 02/2022, 10/2022, 09/2023 and 09/2024 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) read together with other relevant circulars issued by MCA in this regard and Circular No.SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, SEBI/HO/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and SEBI/HO/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred to as "Circulars") and in compliance with all other applicable laws, the **32nd Annual General Meeting ("AGM") of the members of RUSHIL DECOR LIMITED** will be held at **10.30 AM on Monday, 28th day of September, 2026 through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

In accordance with the aforesaid Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2025-26 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agents (RTA)/Depository Participants. Members holding shares in dematerialized mode and whose e-mail address are not registered, are requested to register their e-mail addresses with their relevant Depository Participants. Members may note that the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2025-26 will also be available on the Company's website at www.rushil.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and at National Stock Exchanges of India limited at www.nseindia.com and the AGM Notice will also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-voting facility) at <https://www.evoting.nsdl.com/> in due course. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM is provided in the Notice of AGM.

Further, In accordance with Regulation 36(1)(b) of Listing Regulations, a communication/letter shall be sent to shareholders whose Email IDs are not registered with DP, providing the weblink of Company's website from where the Annual Report for FY 2025-26 can be accessed.

The company has fixed **Tuesday, 8th September, 2026** as the Record date for the purpose of determining the entitlement of final dividend of ₹ 0.05 (Five paise) per equity share of ₹ 1/- each (@5%) as recommended by the Board, for the financial year 2025-26 on the paid up equity share capital of the Company, if declared at the ensuing Annual General Meeting.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date **Monday, 21st day of September, 2026** may cast their vote electronically on the business as set in the notice of AGM through electronic voting system of NSDL from a place other than venue of AGM (Remote e-voting). The Remote e-voting shall commence on **Thursday, 24th day of September, 2026 (9:00 AM IST) and end on Sunday, 27th day of September, 2026 (5:00 PM IST)**. Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses are provided in the Notice to the members.

Members may please note that in terms of aforementioned Circulars, the Company will not be sending physical copies of AGM Notice and Annual Report to the Members.

As per Saksham Niveshak campaign the company hereby inform to its shareholders who has there unclaimed / unpaid dividend shall process with the IEPF Authority and the company. And who have not updated their KYC records are requested to update the same through their Depository Participants at the earliest.

तो एनएसई पर भी खरीद-बेच सकेंगे एनएसई के शेयर !

एर्जेसियां
नई दिल्ली, 20 अगस्त

अपने प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) अपने प्लेटफॉर्म पर खुद के शेयरों के कारोबार की अनुमति दे रही है। इसके लिए उसे सेबी से अलग से मंजूरी नहीं लेनी होगी। प्रस्तावित व्यवस्था एक्सचेंज के मौजूदा 'परमिटेट-टु-ट्रेड' रूट के तहत आएगी। मामले के जानकार उद्योग के एक सूत्र ने यह जानकारी दी।

यह विषय इसलिए जरूरी है कि परमिशन-टु-ट्रेड लिस्टिंग जैसा नहीं होती है। एक सूचीबद्ध कंपनी को अपने प्राथमिक एक्सचेंज को डिस्कलोजर करना होता है और उसकी अनुपालन की भी जिम्मेदारी होती है। परमिशन-टु-ट्रेड प्रेमवर्क सिर्फ निवेशकों को दूसरे एक्सचेंज पर शेयर खरीदने और बेचने में मदद करता है।

'परमिटेट-टु-ट्रेड' प्रेमवर्क के तहत कोई भी



एक्सचेंज किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध शेयरों में ट्रेडिंग की अनुमति दे सकता है। घटनाक्रम से अवगत एक अधिकारी ने कहा, 'एनएसई को अपने प्लेटफॉर्म पर अपने स्वयं के शेयरों में ट्रेड करने की अनुमति देने के लिए सेबी की मंजूरी की जरूरत नहीं हो सकती है।'

एनएसई के पास पहले से ही 200 से अधिक कंपनियां हैं जिनके शेयर उसके प्लेटफॉर्म पर कारोबार करते हैं, लेकिन उस पर सूचीबद्ध नहीं हैं। इससे जाहिर होता है कि किसी एक्सचेंज पर

ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं है कि वह प्रतिभूति वहां सूचीबद्ध है।

यही व्यवस्था अन्य एक्सचेंज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एनएसईआई और एनसीडीईएक्स के पास मिलाकर लगभग 4,000 कंपनियां हैं जिनके शेयरों को उनके प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने की अनुमति है, जबकि वे उन एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध नहीं हैं।

ऐसी 'परमिटेट-टु-ट्रेड' व्यवस्थाओं में प्रत्येक प्रतिभूति के लिए सेबी से अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह प्रक्रिया प्रतिभूतियों के कारोबार से संबंधित है और नई लिस्टिंग जैसी नहीं है।

यह कदम एनएसई के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि वह अपनी सूचीबद्धता की तैयारी कर रहा है। अगर एनएसई अपने शेयरों को किसी अन्य एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराता है, तो मौजूदा प्रेमवर्क के तहत उन शेयरों को संभावित रूप से एनएसई पर ट्रेड करने की अनुमति दी जा सकती है।

कॉपटॉल और मानसी ने कैसे की हेरफेर

पृष्ठ 1 का शेप

बाजार नियामक सेबी ने बताया है कि फर्म की रणनीतियों जिन्हें सिंथेटिक लॉन्ग एसेट पोजीशन या कृत्रिम कारक कहा जाता है, के तहत सेंसेक्स में बढ़त से कॉपटॉल को काफी मुनाफा हो सकता था।

उसी दिन एक अन्य कंपनी मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग ने शुरुआती बढ़त के बाद सेंसेक्स की 8 कंपनियों के शेयरों में संदर्भ मूल्य से लगभग 2.5 फीसदी कम कीमत पर काफी बिक्री ऑर्डर दिए। कंपनी ने एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स

वायदा वा अपनी बकाया पोजीशन से फायदा उठाने के लिए ये ऑर्डर दिए और बाद में उन्हें रद्द भी कर दिया। इससे लगभग चार से पांच मिनट तक सेंसेक्स का आईईपी नीचे आ गया।

नियामक ने स्पष्ट किया है कि दोनों संस्थाओं ने आपस में मिलकर यानी 'सांठगांठ' करके काम नहीं किया था। दोनों ने स्वतंत्र रूप से एक जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर बाजार में हेरफेर किया। सेबी ने इन संस्थाओं को शेयर बाजार में कारोबार करने से रोक दिया है और गलत तरीके से

कमाए गए मुनाफे को जब्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही, सेबी के चेयरमैन ने बाजार में हेरफेर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड की ओर से भेजे गए ईमेल पर जेपी मॉर्गन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं, मानसी के सीओओ को भेजे गए ईमेल का खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं मिला था। हालांकि, इस तरह की घटनाओं ने बाजार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वे सीएसएस व्यवस्था में कुछ बदलाव करने

की मांग कर रहे हैं।

सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज नियामक की पहली निगरानी कड़ी होते हैं ऐसे में सदिग्ध और बाजार में हेरफेर वाले सौदों की पहचान सबसे पहले एक्सचेंज को ही करनी चाहिए थी।

एक अन्य नियामकीय विशेषज्ञ ने कहा कि सेबी का यह आदेश बाजार से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ा संकेत है कि नियामक की नजर बाजार की गतिविधियों पर बनी हुई है।

OBCL Limited
(पूर्व में Orissa Bengal Carrier Limited के नाम से जाना जाता था),
CIN: L63090CT1994PLC008732

रजिस्टर्ड ऑफिस: जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) 492001,
कॉर्पोरेट ऑफिस: ए-1, तीसरी मंजिल, सीजी एंटीट कॉम्प्लेक्स,
मंडी गेट के सामने, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) 492001 | www.obclimited.com,
ईमेल: cs@obclimited.com | दूरभाष: +91-771 2281321 / 0771-4054518

वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) नोटिस

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक, दिन- बुधवार, दिनांक- **16 सितम्बर 2026** को प्रातः 11:00 बजे एजीएम बुलने के नोटिस में बताए गए व्यवसायों का संचालन करने के लिए कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय ए-1, तीसरी मंजिल, सीजी एंटीट कॉम्प्लेक्स, मंडी गेट के सामने, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) 492001 में कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता वायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में भौतिक विधि द्वारा आयोजित की जाएगी।

क्र.	विवरण	अनुसूची
1	मतदान में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों की सूची निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख	09 सितम्बर, 2026
2	नोटिस के प्रेषण के पूरे होने की संभावित तिथि।	22 अगस्त 2026
3	ई-वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि	11 सितम्बर, 2026 प्रातः 11:00 बजे से
4	ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि	15 सितम्बर, 2026 शाम 05:00 बजे तक
5	संबीक्षक	संस्था अंतिम प्रस्ताव एंड रिजोल्यूट्स, प्रवक्ता कर्मी सचिव
6	संबीक्षक द्वारा मतदान पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावित तिथि	18 सितम्बर, 2026
7	मतदान परिणामों के विषय में स्टॉक एक्सचेंज को सूचना देने और उस कंपनी की वेबसाइट पर प्रवित करने की संभावित तिथि	18 सितम्बर, 2026

सदस्य इस बात पर ध्यान दें कि वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) नोटिस सभी शेयरधारकों को जिन्होंने बाजार इमेर आईडी को अपने डिवाइस/आईडी के साथ पंजीकृत किया है उन्हें अंतिम तारीख अर्थात् शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को ई-मत के माध्यम से भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, उन्हें भौतिक रूप से नोटिस भेजा जा रहा है। एजीएम की सूचना ब 31वीं वार्षिक रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट बीएसई- www.bseindia.com और एनएसई- www.nseindia.com पर एक कंपनी की वेबसाइट www.obclimited.com पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे।

कंपनी अपने सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के संशोधित नियम 20 के साथ पठित प्रावधान के अनुसार, और सेबी (सूचीबद्धता वायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। दूरराज से रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया के विवरण के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) नोटिस की निदेश के तर्फ ध्यान दें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग के माध्यम से या वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में अपने मतानधिकार का प्रयोग करें।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:-

1) सदस्य ऊपर लिखित तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा रिपोर्ट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा; 2) एक बार सदस्य द्वारा किसी रोजीयेशन पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी; 3) रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम में मतदान करने के पान नहीं होंगे; 4) संबीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम अग्रथ्य द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट पर प्रवित कर दिए जाएंगे; तथा 5) यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या श्री राकेश दलवी जी से 022-23058738 या 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। ई-वोटिंग टोल फ्री नंबर है -18002255233. एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.obclimited.com से डाउनलोड की जा सकती है।

दिनांक- 20.08.2026
स्थान- रायपुर

कृते, ओबीसीएल लिमिटेड
एसडी/- रावि अग्रवाल, प्रबंध नि

होगा 10 लाख टन चीनी का आयात

संजीव मुखर्जी

नई दिल्ली, 20 अगस्त

देश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी का आयात बगैर शुल्क करने की इजाजत दे दी गई है। भारत को करीब 10 साल के बाद चीनी आयात करना पड़ रहा है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक चीनी का आयात 31 अक्टूबर, 2026 तक ही किया जा सकेगा। इस तरह शुल्क मुक्त आयात के लिए दो महीने से कुछ ज्यादा वक्त मिलेगा, जब त्योहारों की वजह से देश में चीनी की सबसे ज्यादा खपत होती है। भारत में गन्ने की पेराई नवंबर से शुरू होती है। व्यापार और उद्योग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि इस अधिसूचना में एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (एएस) के तहत आयात की गई चीनी को एक बार शुल्क दर कोटा योजना में भी बदला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसका मतलब यह है कि चीनी मिलें आयात की गई कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर देश में बेच सकती हैं, जबकि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत उन्हें ऐसा करने की मनाही होती है।

इस स्कीम के तहत चीनी मिलों को आयात की गई चीनी के बराबर मात्रा में सफेद या रिफाइन्ड चीनी तय मियाद के भीतर निर्यात करनी ही पड़ती है। उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इसका साफ मतलब है कि चीनी मिलें आयात की गई कच्ची चीनी को देसी बाजार में बेच सकती हैं और सजा या जुर्माना झेलने बगैर चीनी की उपलब्धता बढ़ा सकती हैं।' इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के क्षेत्रीय निदेशक दिलीप पाटिल ने कहा कि कम अवधि के लिए लाई गई इस नीति का मकसद देसी बाजार में आपूर्ति बढ़ाना और कीमतों पर अंकुश कसना लगता है। इस पर आयात शुल्क के नुकसान की भरपाई जीएसटी वसूलकर हो जाएगी और अंतिम उत्पाद भी उत्पाद देश के भीतर ही रहेगा। एनसीडीईएक्स के आंकड़ों से पता चलता है कि देश के प्रमुख बाजारों में 19 अगस्त, 2026 को चीनी की हाजिर कीमत 5,530 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, जो 16 साल में सबसे ऊंचा हाजिर भाव है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि चीनी की खुदरा

तीसरे पक्ष के स्रोतों से एथनॉल खरीद पर लगा प्रतिबंध	भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी एथेनॉल आपूर्तिकर्ता स्वदेशी विनिर्माता होने चाहिए, जो अपनी पंजीकृत डिस्टिलरी इकाइयों के मालिक हों। प्रमुख सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं के एक गठबंधन की ओर से बीपीसीएल द्वारा जारी इस नोटिस में स्पष्ट रूप से तीसरे पक्ष के स्रोतों से एथेनॉल की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी एथेनॉल आपूर्तिकर्ता स्वदेशी विनिर्माता होने चाहिए, जो अपनी पंजीकृत डिस्टिलरी इकाइयों के मालिक हों। प्रमुख सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं के एक गठबंधन की ओर से बीपीसीएल द्वारा जारी इस नोटिस में स्पष्ट रूप से तीसरे पक्ष के स्रोतों से एथेनॉल की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।	भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी एथेनॉल आपूर्तिकर्ता स्वदेशी विनिर्माता होने चाहिए, जो अपनी पंजीकृत डिस्टिलरी इकाइयों के मालिक हों। प्रमुख सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं के एक गठबंधन की ओर से बीपीसीएल द्वारा जारी इस नोटिस में स्पष्ट रूप से तीसरे पक्ष के स्रोतों से एथेनॉल की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कीमत 18 अगस्त को 52.30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो 18 अगस्त, 2025 को 46.34 रुपये प्रति किलो थी। चीनी की मांग आम तौर पर अगस्त और नवंबर के बीच बढ़ती है क्योंकि इसी बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए भंडारण सीमा लागू कर कथित जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती जारी रखी है। सरकार ने सभी मिलों से थ्योरा मांगते हुए पूछा है कि 17 से 19 अगस्त के बीच किस मिल ने कितनी चीनी बेची और किस ग्राहक ने कितनी चीनी खरीदी। खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि हर महीने 10 टन से अधिक चीनी इस्तेमाल करने वाले

थोक उपभोक्ता 15 दिनों की खपत से अधिक स्टॉक नहीं रख सकेंगे।

खाद्य मंत्रालय ने चीनी (थोक उपभोक्ताओं के पास स्टॉक की सीमा) आदेश, 2026 अधिसूचित कर दिया है, जिसके दायरे में कन्फेक्शनरी, शीतल पेय निर्माता, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, मिठाई विक्रेता और अन्य संस्थागत खरीदार शामिल हैं। यह आदेश 1 सितंबर से प्रभावी होगा और 30 नवंबर तक लागू रहेगा।

इधर केंद्र द्वारा चीनी के भंडारण की सीमा घटाए जाने की खबर और देश-दुनिया में चीनी के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाने की खबर से चीनी कंपनियों के शेयर दौड़ पड़े। हालांकि 10 साल बाद चीनी के शुल्क मुक्त आयात की इजाजत मुख्य रूप से देसी बाजार में इसकी

जुलाई में बुनियादी क्षेत्र की वृद्धि गिरकर 5.4 प्रतिशत

हिमांश्री भारद्वाज

नई दिल्ली, 20 अगस्त

भारत के नौ बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि जुलाई में सुस्त होकर 5.4 प्रतिशत हो गई जबकि जबकि यह जून में संशोधित होकर 6 प्रतिशत थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के गुरुवार को जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार नौ बुनियादी क्षेत्रों में से पांच क्षेत्रों ने पिछले महीने की तुलना में जुलाई में खराब प्रदर्शन किया।

यह नई श्रृंखला का दूसरा आंकड़ा था और इसका आधार वर्ष 2022-23 है। इसने पुरानी 2011-12 की श्रृंखला की जगह ली। इसमें लौह अयस्क को शामिल किया गया और बुनियादी क्षेत्रों की संख्या आठ से बढ़कर नौ हो गई। जुलाई में कुल सूचकांक बढ़कर 121.2 हो गया, जो पिछले



नौ बुनियादी क्षेत्रों में से पांच क्षेत्रों का जुलाई में खराब प्रदर्शन।

महीने 120.7 था। इस सूचकांक में बिजली का सबसे ज्यादा भारांश (30.9 प्रतिशत) है। उसकी वृद्धि दर पिछले महीने के 11.4 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत हो गई।

नौ-क्षेत्रों वाले सूचकांक में 4.9 प्रतिशत भारांश लौह अयस्क है और यह मुख्य आंकड़ों में सुस्ती का सबसे बड़ा कारण रहा। इसकी वृद्धि जून के 44.5 प्रतिशत से घटकर

जुलाई में 29.5 प्रतिशत (आधे से भी कम) रह गई। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अर्दित नायर ने कहा, 'अकेले इसी ने पिछले महीने की तुलना में जुलाई में बुनियादी क्षेत्र के आउटपुट के आंकड़ों पर 95 आधार अंक का दबाव डाला।'

आंकड़ों से पता चला कि महीने के दौरान नौ में से छह क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इनमें

लौह अयस्क, बिजली, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद और कोयला सकारात्मक दायरे में रहे। हालांकि प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और उर्वरक में गिरावट आई। खास बात यह है कि रिफाइनरी उत्पादों का सूचकांक में दूसरा सबसे बड़ा भारांश है। इन उत्पादों ने अपनी चाल बदली और लगातार तीन महीने की गिरावट के बाद रेंड जोन से बाहर आ गए। इस क्षेत्र में जून में 4

प्रतिशत की गिरावट के बाद जुलाई में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह नौ महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान कुल मिलाकर सूचकांक में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1.5 प्रतिशत थी। सीमेंट का उत्पादन 9.9 प्रतिशत से बढ़कर 13.1 प्रतिशत (सात महीने का सबसे

बढ़ती कीमतों की वजह से ही मिली है। किंतु कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि देश में चीनी की किल्लत की आशंका के बाद भी उत्पादन के गलत अनुमानों के आधार पर 15 से 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने का चूक भरा फैसला भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है।

भारत ने नवंबर 2025 में ही 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी थी, जिसे बाद में 5 लाख टन और बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया गया था। उद्योग के अनुमान हैं कि इसमें से लगभग 8 लाख टन चीनी देश से बाहर भेज दी गई है। अब लगभग उतनी ही कच्ची चीनी आयात करनी पड़ रही है।

कुछ अनुमानों के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए 2025-26 सीजन में एथेनॉल बनाने के लिए 24 लाख टन चीनी अलग करने के बाद भारत का वास्तविक शुद्ध चीनी उत्पादन लगभग 279 लाख टन है। 2025-26 का सीजन शुरू होने पर देश में 47 लाख टन चीनी का भंडार था। इसका मतलब है कि कुल 326 लाख टन के करीब चीनी उपलब्ध होगी। इस साल चीनी की खपत 280 लाख टन रहने का अनुमान है। इस तरह सीजन खत्म होने पर देश में 47 लाख टन चीनी का भंडार होगा। मगर जैसे ही 8 लाख टन का निर्यात आंकड़ा घटोते हैं तो भंडार 35 से 39 लाख टन ही रह जाता है और देश में चीनी की किल्लत का खटक हो जाता है।

उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी ने कहा, 'आयात की वजह से कीमते घटने पर मिलों के लिए दिक्कत नहीं होगी।'

ऊंचा स्तर) हो गया और कोयले का उत्पादन जून के 1.4 प्रतिशत के मुकाबले तेजी से बढ़कर 7.6 प्रतिशत (11 महीने का सबसे ऊंचा स्तर) हो गया।

नायर ने कहा, 'जून 2026 में मॉनसून की भारी कमी के कारण विनिर्माण गतिविधि लंबे समय तक चलने के बाद इन्वेंट्री को फिर् से भरने से जुलाई, 2026 में सीमेंट प्रोडक्शन को मदद मिलने की संभावना है।' दूसरी ओर स्टील में ग्रोथ जुलाई में 2.9 प्रतिशत रही, जो जून के 5.6 प्रतिशत से कम है। जुलाई में गिरावट वाले दायरे में रहने वाले क्षेत्रों में कच्चा तेल और उर्वरक में गिरावट और अधिक हो गई। यह कच्चे तेल में 4.2 प्रतिशत से बढ़कर 5.3 प्रतिशथ और उर्वरक में 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत हो गई।

भारत व सिंगापुर के बीच दूरसंचार, समुद्री विरासत में सहयोग के समझौते

भाषा

सिंगापुर, 20 अगस्त

भारत और सिंगापुर ने गुरुवार को दूरसंचार एवं प्रसारण, समुद्री विरासत और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि चौथी भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक (आईएसएमआर) के दौरान दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि एक आशय पत्र (एलओआई) का आदान-प्रदान हुआ।

बैठक में उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, संपर्क, डिजिटल,

वित्तीय प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौतों में समुद्री विरासत, खाद्य सुरक्षा और दूरसंचार एवं प्रसारण नियमन के क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया संघ 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि ये समझौते आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करेंगे।



सिंगापुर में चौथे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद।

सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप प्रधानमंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री गान किम योंग ने

किया। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा के समन्वय मंत्री के. षणमुगम, विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन,

डिजिटल विकास एवं सूचना मंत्री जोसेफिन तेओ तथा परिवहन मंत्री जेफ्री सियो भी शामिल हुए।

सवाल जवाब

राज्यों के हितों की रक्षा के लिए कोल इंडिया प्रतिबद्ध

कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बी साईराम

मानते हैं कि हम खनिज वाले राज्यों के वैध राजस्व हितों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं।

एमएमडीआर संशोधन अधिनयम से कोयला

परियोजनाओं की अनिश्चितता दूर होगी और

ज्यादा निवेश आएगा। साकेत कुमार से बातचीत में

उन्होंने कहा कि कोयले की कीमत बढ़ने का असर

आखिरकार बिजली दरों पर पड़ता है।

प्रमुख अंश...



देश की सबसे बड़ी खनन कंपनी के तौर पर आप खनिज और धातु विकास और विनियमन (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम 2026 के प्रावधानों को कैसे देखते हैं ?

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और अन्य वैधानिक भुगतानों के माध्यम से राज्य के राजस्व में बड़ा योगदान करने वालों में से एक है। हम खनिज वाले राज्यों के वैध राजस्व हितों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। साथ ही, कोयला खनन जैसे पूंजी केंद्रित और लंबी अवधि वाले क्षेत्र के लिए अप्रत्याशित या पूर्वव्यापी लेवी की वजह से परियोजना को लेकर अनिश्चितता होती है। एक स्थिर और अनुमानित कराधान ढांचा होने से निवेश, क्षमता विस्तार और घरेलू कोयले की विश्वसनीय आपूर्ति को समर्थन मिलेगा। इससे न केवल व्यापक अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान होगा, बल्कि क्षेत्रीय और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में भी सुधार होगा।

रॉयल्टी, डीएमएफ और राज्य-विशिष्ट लेवी जैसे वैधानिक भुगतानों के रूप में सीआईएल कितना भुगतान करती है ? सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने 2025-26 के दौरान राज्यों को रॉयल्टी, डीएमएफ, राज्य जीएसटी, उपकर और लेवी सहित 32,000 करोड़ रुपये से अधिक वैधानिक लेवी का भुगतान किया। कंपनी ने 2025-26 में रॉयल्टी के रूप में 15,950 करोड़ रुपये, डीएमएफ के लिए 4,750 करोड़ रुपये, एसजीएसटी के लिए 2,320 करोड़ रुपये और सेस के रूप में 2,222 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो कुल मिलाकर 25,000 करोड़ रुपये से अधिक था। इसके अतिरिक्त लगभग 7,000 करोड़ रुपये का भुगतान राज्यों से जुड़े अन्य लेवी के लिए किया गया, जिसमें झारखंड को 4,888 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 1,375 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 575 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 92 करोड़ रुपये और ओडिशा को 10 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है।

संशोधित कानून से कोल इंडिया को कितनी वित्तीय राहत मिल सकती है ? इसे लाभ या हानि के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। कोल इंडिया उन राज्यों के आर्थिक विकास को समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें वह काम करती है। एक स्थिर और

अनुमानित कराधान ढांचा कारोबार के सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देगा और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इसके बदले में, खनिज उत्पादन में वृद्धि होगी, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होंगे।

क्या आप मानते हैं कि राज्य स्तर पर असमान लेवी से कोयले की लागत बढ़ती है। अंततः बिजली महंगी होती है ? रॉयल्टी, डीएमएफ और जीएसटी कोयला आपूर्ति से जुड़ी वैधानिक लागत संरचना के प्रमुख घटक हैं। जब अतिरिक्त या अलग लेवी लगाई जाती है, तो कोयले की डिलीवरी लागत बढ़ जाती है। बिजली क्षेत्र के लिए कोयला प्रमुख इनपुट लागत है। इसलिए कोयले की लागत में किसी भी वृद्धि का असर बिजली उत्पादन की लागत पर पड़ता है और नियामक ढांचे के मुताबिक बिजली की दरों पर असर पड़ सकता है।

अगर संशोधन से अधिक समान लेवी ढांचा बनता है, तो सीआईएल कोयले की कीमतें घटाएगा या मार्जिन सुधारेगा ? फाइनैशियल स्टेटमेंट में लेवी को व्यय में शामिल किया जाता है। जब इसकी लागत का बोझ ग्राहकों पर डाला जाता है तो यह हमें वापस मिल जाता है। ऐसे में लेवी में किसी भी बदलाव से सीआईएल के मार्जिन पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। आमतौर पर इसे ग्राहकों से वसूला जाता है।

क्या संशोधित राजकोषीय ढांचा सीआईएल के निवेश निर्णयों, खदान विकास योजनाओं या नई खदानों की अर्थशास्त्र को बदलेगा ? कोल इंडिया व्यापक मानदंडों की सूची को देखने के बाद खदान विकसित करने का फैसला करती है। कोल इंडिया की खदान में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, खदान अवसंरचना, कोयला निकासी अवसंरचना और खनन के बड़े उपकरणों पर अग्रिम व्यय शामिल होता है। खनन परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर निवेश का फैसला किया जाता है। कोयला से बिजली के मूल्य की श्रृंखला में अधिक निश्चितता से इस क्षेत्र के निरंतर आर्थिक विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनेगा। इससे स्थानीय लोगों को आजीविका के बेहतर साधन मिलेंगे और समग्र कल्याण में इसका अहम योगदान होगा।

दिल्ली में 2047 तक बनेंगे

40 लाख नए मकान

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को 'दिल्ली मास्टर प्लान 2047' जारी करते हुए कहा कि शहर में करीब 40 लाख नए घर बनाए जाएंगे और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2047 तक मेट्रो रेल

नेटवर्क का विस्तार कर 695 किलोमीटर किया जाएगा।

मनोहर लाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल टी. एस. संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली की आबादी बढ़कर 3.20 करोड़ होने का अनुमान है, जिससे विकास पर दबाव बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में शहर का तेजी से विकास सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही यमुना के 180 वर्ग किलोमीटर बाढ़ क्षेत्र और रिज क्षेत्र का संरक्षण भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान के तहत बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 30 से 40 लाख नए फ्लैट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि शहर में मेट्रो रेल, बसों और छह नए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) क्लियरान्स समेत सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।

भाषा

बीएस सूडोकू 5672										परिणाम संख्या 5671									
			2							2	1	7	4	5	6	8	3	9	
			5			7	8			2	6								
7											3								
6																			
						3	9	7											
			8	5		2													
1	4																	2	
						8												4	
8						6	5			7	3								

दिल्ली में 2027 से नए एलजीवी वाहनों पर रोक

दीपक पटेल

नई दिल्ली, 20 अगस्त

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयुक्त (सीएक्यूएम) ने अगले साल 1 जनवरी से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के कुल 3.5 टन वजन के हल्के माल ढोने वाले नए वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है।इन्हें 'एन1 वाहन' की श्रेणी में रखा गया है। यह जानकारी सीएक्यूएम ने आज दी।

बहरहाल, 3-7.5 टन वजनी गैर इलेक्ट्रॉनिक एलजीवी वाहनों को 'एन 2 वाहनों' की श्रेणी में रखा गया है। इन वाहनों पर 1 जनवरी,

2028 से रोक होगी। सीएक्यूएम का यह आदेश 19 अगस्त को जारी किया गया था। यह दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति से कहीं आगे का कदम है।

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 30 जून को अधिसूचित की थी। इसमें दिल्ली सरकार ने यह अनिवार्य किया था कि 1 जनवरी, 2027 से केवल इलेक्ट्रिक एन1 एलजीवी का ही नया पंजीकरण हो सकेगा, वहीं उसने गैर-इलेक्ट्रिक एन2 एलजीवी पूरी तरह से रोक नहीं लगाई थी। हालांकि सीएक्यूएम ने एन2 वाहनों को भी इस रोक के



वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयुक्त ने वाहनों पर रोक लगाई।

दायरे में शामिल कर लिया है।

इस आदेश का असर गैर-इलेक्ट्रिक एन 1 और एन 2 वाणिज्यिक वाहनों के बड़े निर्माताओं जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा

एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी और वीई कमर्शियल कीकल्स पर पड़ेगा। दिल्ली-एनसीआर के कुछ हल्लियों में उनके पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मॉडल धीरे-धीरे नए पंजीकरण के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

वैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड (अपनी सन्सिडियरी स्विच मोबिलिटी के जरिए) और वीई कमर्शिल

कीकल्स जैसी कंपनियां एन1 खंड में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ मौजूद हैं।

यूलर मोटर्स जैसे इलेक्ट्रिक एलजीवी स्टार्टअप को भी एन 1

मार्केट में अच्छी-खासी हिस्सेदारी है। आयुक्त ने कहा कि नौ रजिस्टर्ड वाहन निर्माता अभी 20 इलेक्ट्रिक एन 1 मॉडल बेच रहे हैं।ये पारबंदियों के पहले चरण के लिए पर्याप्त उत्पाद देते हैं। एन 2 वाहनों के मामले में इसने ज्यादा सावधानी बरती क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक मार्केट शुरुआती दौर में है। सीएक्यूएम ने देखा कि 2025 में दिल्ली-एनसीआर में 2,744 एन2 एलजीवी नए पंजीकृत हुए लेकिन उनमें से एक भी इलेक्ट्रिक नहीं था। इसने कहा कि चार वाहन निर्माताओं के पास छह इलेक्ट्रिक एन 2 मॉडल उपलब्ध थे।

डिस्कलेमर:- बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तत्वेरी पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के निबंधन एवं जानकारी से पारे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड ने तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। 1. मै, बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुविक्रित है बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 19 अंक 159

बदलती अपेक्षाएं

भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने इस माह के आरंभ में अपनी बैठक में नीतिगत रीपो दर को अपरिवर्तित रहने देने का निर्णय लिया था। वह समझदारी भरा निर्णय था। हालांकि जून में मुद्रास्फीति की दर तय लक्ष्य को पार कर गई थी लेकिन लगातार 16 महीनों तक वह लक्ष्य से नीचे भी रही। इतना ही नहीं अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मोर्चों पर स्पष्टता की प्रतीक्षा भी समझदारी भरी बात रही। पश्चिम एशिया के हालात में कोई खास सुधार होता नहीं दिख रहा है और कच्चे तेल की कीमतें लगातार उतार-चढ़ाव दर्शा रही हैं। उसकी निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। अगली बैठक तक कृषि उत्पादन पर कमजोर मौनसून के संभावित असर को लेकर भी और अधिक स्पष्टता आएगी। बहरहाल, जैसा कि इस समाचार पत्र ने भी कहा, रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान यह सुझाते हैं कि नीतिगत दर लंबे समय तक मौजूदा स्तर पर नहीं रहेगी। बैठक का ब्योरा बुधवार को जारी किया गया और उसकी व्याख्या भी कमोबेश इसी तर्ज पर की जा रही है।

इसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दलील दी कि व्यापक स्तर पर मुद्रास्फीति में वृद्धि और अपेक्षाओं के असंतुलन को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ‘यदि इन जोखिमों के वास्तविक होने के कोई प्रमाण मिलते हैं तो नीतिगत सख्ती की आवश्यकता पड़ सकती है।’ डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने और स्पष्ट रूप से कहा, ‘वर्तमान समय में किसी भी अतिरिक्त नरमी की गुंजाइश दिखाई नहीं देती। बल्कि, यह देखते हुए कि समग्र मुद्रास्फीति 2026-27 की तीसरी तिमाही में 5.9 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है, वर्ष के दौरान दर वृद्धि का मामला बन सकता है।’ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति अनुमान 10 आधार अंक घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया। यद्यपि दर के वर्तमान वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही से शुरू होकर लगातार तीन तिमाहियों तक 5 फीसदी से ऊपर रहने का अनुमान है। 2027-28 की पहली तिमाही से आगे के अनुमानों को देखना दिलचस्प होगा। अधिक स्पष्टता संभवतः अक्टूबर में होने वाली अगली एमपीसी बैठक और अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति रिपोर्ट के जारी होने पर सामने आएगी।

वर्तमान स्थिति में मूल्य दबाव बढ़ने का अनुमान है। हेडलाइन यानी समग्र मुद्रास्फीति के 5 फीसदी से ऊपर जाकर तीसरी तिमाही में 5.9 फीसदी तक पहुंचने की आशंका है। इस स्थिति में 5.25 फीसदी की नीतिगत रीपो दर वास्तविक रूप से ऋणात्मक हो जाएगी। यह अवांछनीय है। रिजर्व बैंक का उद्देश्य यह है कि वास्तविक नीतिगत दर ऋणात्मक क्षेत्र में न जाए। खासकर तब जब वृद्धि जोखिम में न हो। इसलिए नीतिगत दरों में समायोजन आवश्यक होगा। आने वाले हफ्तों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि एमपीसी अक्टूबर में सख्ती शुरू करेगा या कुछ समय और प्रतीक्षा की गुंजाइश होगी। अगले वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान निर्णायक होंगे। ध्यान देने योग्य है कि मौद्रिक नीति का असर विलंब से होता है, और यदि दर अगले वित्तीय वर्ष में ऊंची रहने की उम्मीद है, तो सख्ती अक्टूबर से ही शुरू हो सकती है।

हालांकि भारत में मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के विकास से संचालित नहीं होती लेकिन मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटने के लिए किए गए नीतिगत समायोजन इसमें मदद कर सकते हैं। उच्च मुद्रास्फीति दर और अधिक राजकोषीय घाटे की चिंताओं के कारण विकसित बाजारों में यील्ड बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका सरकार ने यील्ड कम करने के लिए बॉन्ड पुनर्खरीद बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इस सप्ताह की शुरुआत में 30-वर्षीय अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की यील्ड 5.3 फीसदी से ऊपर चली गई, जो 2007 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। यील्ड में कम अंतर विकसित देशों से उभरते बाजारों में ऋण पूंजी प्रवाह को हतोत्साहित करता है। हालांकि कम से कम निकट भविष्य में, भारत मुद्रा मोर्चे पर बेहतर स्थिति में है। रिजर्व बैंक द्वारा घोषित स्वैप व्यवस्था के माध्यम से पर्याप्त धन जुटाया जा रहा है।फिर भी नीतिगत दरों में समायोजन ऋण प्रवाह में मदद कर सकता है।



अजय मोहंती

ईएसजी खुलासे को सार्थक बनाने की आवश्यकता

भारत को अपने ईएसजी रिपोर्टिंग मानकों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मानकों के अनुरूप बनाने की जरूरत है ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके। बता रहे हैं अजय त्यागी

पांच वर्ष पहले 2021 में जब बाजार नियामक ने 2022-23 से भारत में सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों के लिए कारोबार जवाबदेही एवं स्थायित्व रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) खुलासों को अनिवार्य बनाया था तब इसे कंपनियों द्वारा गैर वित्तीय प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना गया था। इस मामले में भारत अग्रणी देशों में शामिल था। यहां तक कि यूरोपीय संघ ने भी ऐसा खुलासा 2024-25 में अनिवार्य किया था।

वर्ष 2023 में बीआरएसआर कोर की प्रस्तुति के बाद यह और अधिक मजबूत हुआ। उसमें मुख्य प्रदर्शन संकेतकों यानी केपीआई का तीसरे पक्ष द्वारा आकलन

अनिवार्य किया गया जिससे योजना की विश्वसनीयता बढ़ी।

बीआरएसआर दिशानिर्देशों की समीक्षा वैश्विक विकास के अनुरूप लगातार होती रहनी चाहिए ताकि वे हितधारकों के लिए प्रासंगिक बने रहें। बीआरएसआर दिशानिर्देश सूचीबद्ध कंपनियों को ईएसजी के अंतर्गत नौ श्रेणियों में जानकारी का खुलासा करने को बाध्य करते हैं। वर्तमान में रिपोर्टिंग प्रारूप क्षेत्र निरपेक्ष हैं। इन्हें क्षेत्र विशिष्ट प्रारूप में बदलना आवश्यक है।

निश्चित रूप से ताप बिजली संयंत्र के लिए प्रारूप आईटी उद्योग के समान नहीं हो सकते। मौजूदा दिशानिर्देश कंपनियों को उन कॉलमों में ‘लागू नहीं’ लिखने की अनुमति देते हैं जो उनके लिए प्रासंगिक

नहीं हैं लेकिन इससे या तो सूचना का बोझ बढ़ सकता है या क्षेत्र-विशिष्ट जानकारी की कमी हो सकती है।

नियामक राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों को वर्गीकृत कर सकता है और क्षेत्र-विशिष्ट टेम्पलेट निर्धारित कर सकता है।

प्रकटीकरण व्यवस्था हितधारकों को एक ही क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की तुलना करने में मदद करती है। यह और उपयोगी होगा यदि अलग-अलग पैमानों पर दी गई जानकारी की तुलना सरकार या नियामकों द्वारा अलग-अलग गतिविधियों के लिए तय किए गए बेंचमार्क से भी की जा सके। बेंचमार्किंग के अभाव में किसी कंपनी के असल प्रदर्शन का आकलन

शहरी सहकारी बैंक: अधूरा अतीत, उभरता वर्तमान

बाइस साल के अंतराल के बाद भारतीय रिजर्व बैंक नए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ऑन-टैप लाइसेंसिंग का रास्ता खोलने जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने इसके लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि लाइसेंस किसी निर्धारित समय वाले विंडो की जगह हर समय लगातार दिए जाएंगे। इन मानकों के तहत पात्र विविध राज्य ऋण सहकारी समितियां जिनके पास कम से कम 10 साल के संचालन का रिकॉर्ड हो और न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपये की जमा राशि तथा 300 करोड़ रुपये की हैसियत हो, वे यूसीबी में रूपांतरण के लिए आवेदन कर सकती हैं।

यह ऐसे समय पर हो रहा है जब रिजर्व बैंक यूसीबी के लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में स्वेच्छिक बदलाव को प्रोत्साहित कर रहा है। शिवालिक मर्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पहला ऐसा यूसीबी है जो सफलतापूर्वक रूपांतरित हुआ। एक अन्य बड़ा यूसीबी नियामकीय बचाव अभियान के माध्यम से एसएफबी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। घोटाले से प्रभावित पंजाब एवं महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) का विलय कर उसे यूनिटी स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड में बदल दिया गया। इतिहास पर नजर डालें तो भारत की पहली ऋण सहकारी समिति 1903 में बंगाल में स्थानीय सरकार के समर्थन से बनी थी और इसे ब्रिटिश सरकार के फ्रेडली सोसाइटीज ऐक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। इसके बाद 25 मार्च, 1904 को भारत का सहकारी ऋण समिति अधिनियम लागू किया गया।

1911 तक 5,300 समितियां थीं जिनकी संयुक्त सदस्यता 3 लाख से अधिक थी। 1912 के सहकारी समिति अधिनियम ने एक औपचारिक त्रिस्तरीय संरचना पेश की: गांव स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय बैंक और राज्य स्तर पर शीर्ष राज्य बैंक जो अल्पकालिक व मध्यम अवधि का ऋण प्रदान करते थे। रिजर्व बैंक की सहकारी ऋण आंदोलन में

औपचारिक भागीदारी 1951 में ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की नियुक्ति के साथ गंभीरता से शुरू हुई। समिति ने व्यवस्थागत विफलताओं को स्वीकार किया और एकीकृत ग्रामीण ऋण दृष्टिकोण की वकालत की। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1919 के

मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत सहकारिता राज्य का विषय बन गई थी। ढांचागत बदलाव मार्च 1966 में आया जब कम से कम एक लाख रुपये की चुकता पूंजी और मुद्रा भंडार वाले सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत लाया गया। इस अधिनियम में संशोधन कर रिजर्व बैंक की नियामकीय अधिकारिता सभी सहकारी बैंकों तक बढ़ा दी गई जिन्हें तब तक केवल राज्य-विशिष्ट सहकारी कानूनों के तहत ही नियंत्रित किया जाता था। इसने दोहरे नियमन की जटिल व्यवस्था कायम की। रिजर्व बैंक जहां बैंकिंग परिचालन और निगरानी करता था वहीं यूसीबी का प्रशासनिक प्रबंधन राज्य सरकारों के पास था।

एस.एस. मराठे समिति (1991) की अनुशंसाओं के बाद रिजर्व बैंक ने यूसीबी के लाइसेंसिंग मानक शिथिल किए ताकि वित्तीय समावेशन बढ़ाया जा सके। 1993 से पहले नए यूसीबी के लिए एक जिला, एक बैंक का सिद्धांत लागू था। 1993 की नीति के बाद यह प्रतिबंध समाप्त हो गया और एक जिले में कई यूसीबी को इजाजत मिली बशर्ते कि उनके लिए बाजार मौजूद हो। अन्य बातों के अलावा नीति ने विशेष लक्षित समूहों द्वारा और उनके लिए प्रोत्साहित किए गए यूसीबी के गठन को बढ़ावा दिया। जैसे महिलाओं के सहकारी बैंक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा

करना संभव नहीं है। सरकार के पास ईएसजी के विभिन्न तत्वों के अंतर्गत कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं और घरेलू आकांक्षाएं हैं। उसे यह तय करना होगा कि इन प्रतिबद्धताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में वह कंपनियों से किस प्रकार का योगदान अपेक्षित करती है।

उदाहरण के लिए ईएसजी के पर्यावरणीय घटक के अंतर्गत सरकार ने 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 फीसदी तक कम करने और 2070 तक विशुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया है।

स्वाभाविक रूप से ये लक्ष्य तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक इन्हें विभिन्न गतिविधियों और क्षेत्रों में विभाजित कर प्रगति की निगरानी न की जाए। सरकार कंपनियों से क्या अपेक्षा करती है? हाल ही में, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के तहत उन सेक्टरों के लिए कुछ सेक्टर-विशिष्ट जीएचसी उत्सर्जन लक्ष्य तय किए गए हैं, जिनमें उत्सर्जन कम करना मुश्किल है। इन क्षेत्रों की कंपनियों से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे अपने प्रदर्शन को इन लक्ष्यों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उजागर करें।

दरअसल ऐसे लक्ष्य और अधिक क्षेत्रों के लिए तय किए जाने चाहिए और प्रदर्शन की निगरानी होनी चाहिए। आगे चलकर अन्य मानकों जैसे जल-उपयोग गहनता और कुल ऊर्जा खपत में नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपात के लिए भी विशिष्ट लक्ष्य तय किए जाने चाहिए। बीआरएसआर का दायरा केवल शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यद्यपि बाजार पूंजीकरण के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण करना एक सरल मानदंड है लेकिन इससे अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उदाहरण के लिए जीएचजी का सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले कुछ उद्योग शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियां जिनके ईएसजी संबंधी प्रकटीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं वे सूचीबद्ध होने के बजाय गैर-सूचीबद्ध रहना पसंद करती हैं। इसलिए बीआरएसआर के लिए अपनाए

गए मानदंडों पर पुनर्विचार करने और इसके दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में कंपनियों के निदेशक मंडलों में ईएसजी से जुड़े मामलों के लिए कोई अलग समिति नहीं होती। सामान्यतः इन विषयों को सीएसआर समिति या जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से देखा जाता है। ऐसे में जिन कंपनियों के लिए ईएसजी का विशेष महत्त्व है, उनमें ईएसजी मामलों के लिए एक अलग बोर्ड समिति का गठन नियामक द्वारा अनिवार्य किया जाना चाहिए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी बीआरएसआर के दायरे में लाना आवश्यक होगा, विशेष रूप से वे एमएसएमई जो पहले से शामिल कंपनियों की मूल्य श्रृंखला का हिस्सा हैं। हालांकि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जानी चाहिए।

सरकारी स्तर पर ईएसजी के विभिन्न तत्वों के अंतर्गत कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं और घरेलू आकांक्षाएं हैं। इन लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए भविष्य में हम विदेशी वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा चाहिए होगा। इस पर सलाहकार संगठनों, उद्योग समूहों और शोधकर्ताओं के बीच आम सहमति है। कई विदेशी पेंशन फंड, सॉवरिन वेल्थ फंड और अन्य दीर्घकालिक निवेश फंड के निवेशकों को यह निदेश होता है कि वे अपनी पूंजी का एक हिस्सा केवल सतत विकास परियोजनाओं में लगाएं। भारत में निवेश करने के लिए वे अपेक्षा करेंगे कि भारतीय कंपनियां उन्हीं मानकों का पालन करें जो उनके अपने क्षेत्रों में लागू होते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्थायित्व मानक बोर्ड (आईएसएसबी) द्वारा विकसित टिकाऊ रिपोर्टिंग मानक जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक के अंतर्गत आता है उसे वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और अधिकाधिक क्षेत्र इन्हें अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। भारत को सभी हितधारकों से परामर्श कर एक रोडमैप तैयार करना चाहिए ताकि बीआरएसआर को इन मानकों के अनुरूप बनाया जा सके।

(*लेखक अजयवर् रिसर्च फाउंडेशन में विशिष्ट फेलो और सेबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वे उनके निजी विचार हैं*)

देश-दुनिया



चेन्नई के पास महाबलीपुरम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुरुवार को 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। इसमें दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से आग्रह किया कि इस क्षेत्र को आबादी पर नियंत्रण के लिए दृढित न किया जाए और धन हस्तांतरण में उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार हो। बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. विजय जोसेफ, आंध्र प्रदेश के एन. चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के डीके शिवकुमार, केरल के वीडी सतीशन और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने भाग लिया।

आपका पक्ष

कृषि भूमि का सिकुड़ना खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती

पिछले तीन-चार दशक से देश में कृषि भूमि लगातार संकुचित होती जा रही है। इसकी मुख्य वजह तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे का विस्तार है। बढ़ती आबादी से आवास और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपजाऊ कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर गैर-कृषि कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। गांव और शहर के समीप के अनेक खेत ,कॉलोनियों में तब्दील हो चुके हैं। यह क्रम लगातार जारी है, लेकिन इस तरह से कृषि भूमि का सिकुड़ना भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चुनौती है। यदि यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले समय में खाद्यान्न उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है और देश को खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार विकास और कृषि के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है, यही संतुलन आने वाली पीढ़ियों के लिए भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित



बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण से कम हो रही खेती की जमीन

करेगा। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि से आवासीय क्षेत्र की आवश्यकता बढ़ी है, लेकिन अनेक कॉलोनियों में निवेशकों द्वारा खरीदे गए अनेक प्लॉट बरसों तक खाली पड़े रहते हैं। इस गंभीर विषय पर सरकार और समाज दोनों को गहनता सोचना होगा। अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी नियंत्रण, भूमि उपयोग के

नियमों का कठोरता से पालन और सुव्यवस्थित शहरी नियोजन समय की मांग है। ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए, जिनसे खेती में ही स्थिर और सम्मानजनक आय प्राप्त हो, ताकि वे अपनी भूमि कॉलोनाइजरों को बेचने के लिए विवश न हों। यदि हम आज इसके संरक्षण के प्रति सजग नहीं होंगे, तो

भविष्य में इसके काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

विमलेश पगारिया, बदनावर

विदेशी कंपनियां खूब कर रही भारत से कमाई

इस समाचार पत्र में प्रकाशित लेख ‘विदेशी निवेशकों की राह में दिखते रोड़े’ नए सिरे से भारत में विदेशी कंपनियों और निवेशकों के लाभार्जन को बारीकी से विश्लेषित करने की आवश्यकता पर सोचने को मजबूर करता है। कुछ तथ्य हमारे मानस में बैठ गए हैं कि देश में पूंजी की बहुत कमी है और भारत को वैश्विक व्यापार में स्थापित करने के लिए विदेशी निवेश बहुत आवश्यक है। अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग देश के कानूनों में अनेक खामियां और आर्थिक प्रशासन तंत्र में विदेशी निवेशकों के प्रति दुराग्रही प्रवृत्ति

प्रदर्शित करता है। विदेशी व्यापार, निवेश, आय, कर निर्धारण आदि विषय विश्व के सभी विकसित देशों के समान ‘आर्थिक सहयोग और विकास संगठन’ के अनुरूप हैं और एडवांस प्राइसिंग, एडवांस रूलिंग तथा दोहरे कराधान समझौते वैश्विक कानूनों और समझौतों के अनुरूप हैं, इसलिए भारत में विदेशी निवेशकों, कंपनियों के प्रति किसी दुराग्रही प्रवृत्ति की बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, देश में पूंजी की कमी होने की बात भी गलत है। वास्तविकता यह है कि घरेलू पूंजी जुटाने की कोशिश ही नहीं है। घरेलू बचत को आयकर कानूनों के माध्यम से हतोत्साहित किया गया है और उस पर खत्व हुई है। विदेशी व्यापार में किस सीमा तक ट्रांसफर प्राइसिंग द्वारा लाभ विदेश को स्थानांतरित किया जाता है, इसका मूल्यांकन हो तो सत्य सामने आ जाएगा। विदेशी कंपनियों के भारत में निवेश और व्यापार भारी लाभ के माध्यम रहे हैं और रहेंगे।

विनोद जौहरी, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in

पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

When industry giants speak, everyone listens.

In-depth **Q&As** with market mavens — *every Monday* in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to **57575** or email **order@bsmail.in**



Business Standard Insight Out

▶ businessstandard

✕ bsindia

📱 business.standard

business-standard.com

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis — *every day with Stocks in the News* in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to **57575** or email **order@bsmail.in**



Business Standard Insight Out

▶ businessstandard

✕ bsindia

business-standard.com



सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड
(पूर्व में सैनियम सीमेंट इंस्ट्रुटीज लिमिटेड)
CIN No.: L26942OR1991PLC002865
पंजीकृत कार्यालय एवं वर्कशॉप: ग्राम: बरपाली, डाकघर: केसरामल, राजगंगपुर, जिला: सुंदरगढ़, ओडिशा, भारत, पिन: 770017
दूरभाष: +91-9437049074, ई-मेल: info@surajproducts.com, companysecretary@surajproducts.com, वेबसाइट: www.surajproducts.com

सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड के सदस्यों को 35वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी
1. सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 12 सितंबर, 2026 को अपराह्न 04:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ग्राम बरपाली, डाकघर-केसरामाल, राजगंगपुर, जिला-सुंदरगढ़, ओडिशा-770017 में आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम बुलाने संबंधी नोटिस में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग अनुशंसापत्रों का उपयोग करके शेयरधारक/सदस्य लॉगिन के अंतर्गत <https://www.evoting.nsdl.com> पर कथित सूचना को देख सकते हैं।
2. प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एजीएम की सूचना तथा वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उनके साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेज कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(गण) के पास पंजीकृत हैं। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <https://surajproducts.com/annual-reports>, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा एवं ई-वोटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध होंगे।
3. इसके अतिरिक्त, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुपालन में, उन सदस्यों को एक पत्र भेजा गया है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अधिकर्ता (आरटीए)/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी)/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं। इस पत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध होने वाले वेब-लिक सहित उसका सटीक पथ प्रदान किया गया है।
4. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 को लागू नियमों के साथ पढ़े जाने के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तिकाएं शनिवार, 5 सितंबर, 2026 से शनिवार, 12 सितंबर, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी। यदि प्रस्तावित लामोश को एजीएम में अनुमोदित किया जाता है, तो ऐसे लामोश का भुगतान कंपनी के उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम 05 सितंबर, 2026 (रिकॉर्ड दिधि) को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे।
5. केवाईसी पंजीकरण/ई-मेल पते को अद्यतन करने की प्रक्रिया:
(क) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित किए गए हैं, तो केवाईसी विवरण एवं नामांकन के पंजीकरण/परिवर्तन हेतु संबंधित प्रपत्र, अर्थात प्रपत्र आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14 तथा सेबी के परिपत्र हमारी वेबसाइट <https://surajproducts.com> पर उपलब्ध हैं। फॉर्सियो को केवाईसी अनुपालनयुक्त बनाने के लिए धारक को उसमें उल्लिखित सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए प्रपत्र जमा करना आवश्यक है।
(ख) डीमैट/पेपलान्ड रूप में शेयर रखने वाले वे सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डीमैट खाते जिस डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास रखते हैं, उसके साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराएं।
6. ई-वोटिंग के माध्यम से मत/मतों के प्रयोग करने का तरीका:
क) सदस्यों को एजीएम की सूचना में उल्लिखित कार्यसूची के विषयों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) के माध्यम से अपना मत/मतों का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होगा।
ख) डीमैट/पेपलान्ड रूप में, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके द्वारा रिमोट तरीके से (रिमोट ई-वोटिंग) मतदान करने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। इसका विवरण कंपनी की वेबसाइट <https://surajproducts.com/annual-reports> पर भी उपलब्ध होगा।
ग) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत/मतों का प्रयोग नहीं किया है, एजीएम के दौरान मतदान कर सकते हैं।
घ) ई-वोटिंग के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने हेतु लॉगिन अनुशंसापत्र सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं होता है अथवा जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना के टिप्पणियों में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन अनुशंसापत्र प्राप्त कर सकते हैं।
7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विशेष रूप से रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान मतदान करने की प्रक्रिया का अवलोकन करें।
8. सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **बुधवार, 09 सितंबर, 2026 को सुबह 9:00 बजे (भागस) से शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को सायं 5:00 बजे (भागस) तक (दोनों दिन सम्मिलित)** रहेंगी।
9. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात **शनिवार, 05 सितंबर, 2026** को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारिता के मामले में) डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लामकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति मतदान करने का अधिकारी होगा।

सूचक प्रोडक्ट्स लिमिटेड
हस्ता/-
अनंत नारायण खटुआ
स्थान : बरपाली
दिनांक : 19 अगस्त, 2026

कंपनी नारायण अधिकारी
सदस्यता सं. : ए21776



एनपीए प्रबंधन वसुह्, आईडीबीआई टॉवर, 11वीं मंजिल, बंग, इन्डियन
कोम्प्लेक्स, कृष्ण पथ, मुंबई-400005.
सीआईएल सं.: L65190M/H2004G0148838

मास्टर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के पास विधिवत पंजीकृत साधारण बीमा कंपनियों/फर्मों से, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड तथा अन्य ऋणदाताओं के पक्ष में प्रभाषित बंद अथवा गैर-परिचालित इकाइयों की परिसंपत्तियों के बीमा हेतु मास्टर इंश्योरेंस पॉलिसी (एमआईपी) के अंतर्गत मानक बीमत जोखिमों सहित संधारों एवं अग्रे जैसे अनचाहे जोखिमों के कवरेज के लिए प्रीमियम रतों के कोटेशन प्राप्त करने के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं. कोटेशन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 03 सितंबर 2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक है. अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वेबसाइट www.idbibank.in के तहत नोटिस एवं निविदाएं देखें. उक्त के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा तथा अलग से कोई भी सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं की जाएगी.
दिनांक : 21/08/2026
ह./-(मन-एनएमजी)

प्रपत्र सं. 14
विनियम 33(2) देखें
पंजीकृत एजी, दस्ता द्वारा, अनन्ध प्रकाशन द्वारा

कार्यालय: वसुली अधिकारी 1/II
ऋण वसुली न्यायधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)
पहली मंजिल, त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स अविड्स हैदराबाद – 500001
माग नोटिस
ऋण वसुली और शोषण असमता अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत नोटिस आर.सी./274/2024
12-08-2026

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
ई सुधीर रेड्डी एवं अन्य

प्रति (CD 1) E Sudhir Reddy E Sudhir Reddy E Yella Reddy, M 22 3rt Vijaynagar Colony Hyderabad Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 2) Absorption Aircon Engineers Pvt. Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 3) Agaram Developer Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 4) Annapampattu Developers Pvt. Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 5) Hindustan Dorr-Oliver Limited Under Liquidation Rep. By Its Liquidator (Nelt), (CD 6) Babinagar Developers Pvt. Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 7) Duvvada Developse Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 8) Dayamarkham (India) Pvt. Limited Under Liquidation Rep. By Its Liquidator, Dorr Oliver House, (CD 9) Hdo Technologies Limited Under Liquidation Rep. By Its Liquidator, Dorr Oliver House, (CD 10) Geo Prime Developers Pvt. Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 11) Geo Ivrc Engineering Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 12) Gajuwaka Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 13) First Stp Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji, (CD 14) Eragam Finlease Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Ch. Srikanth, (CD 15) Eluru Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 16) Chodavaram Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 17) Iv Prime Developers (Tuni) Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 18) Iv Prime Developers (Amrapuram) Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 19) Ilavampedu Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 20) Iv Prime Developers (Aruku) Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 21) Iv Enviro Projects Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 22) Iv Prime Developers (Erode) Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 23) Iv Prime Developers (Red Hills) Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 24) Iv Prime Developers (Guntur) Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 25) Iv Prime Developers (Guindy) Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 26) Iv Prime Developers (Bobbili) Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 27) Iv Prime Developers (Egmore) Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 28) Iv Prime Developers (Bhimavaram) Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 29) Iv Prime Developers (Adayar) Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 30) Iv Prime Developers (Tambaram) Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 31) Iv Prime Developers (Palakkad) Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 32) Ivrc Multilevel Car Parking Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 33) Ivrc Megamalls Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 34) Ivrc Gundugolanu Rajahmundry Toll Ways Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir.	 (CD 35) Ivrc Solar Energy Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 36) Ivrc Raipur Bilaspur Toll Ways Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 37) Ivrc Psc Pipes Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 38) Ivrc Patalia Bhatinda Toll Ways Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 39) Ivrc Narnaul Bhivani Toll Ways Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 40) Ivrc Patalgana Trucks Terminals Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 41) Ivrc Indore Gujarat Toll Ways Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 42) Ivrc Goa Toll Ways Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 43) Ivrc Clubs Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 44) Ivrc Vanaprasta Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 45) Ivrc Pudl Resorts And Clubs Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 46) Ivrc TR Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 47) Mummidhi Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 48) Theata Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 49) Tirumani Signatory Private Ltd Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 50) Vedurwada Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 51) Sinipuram Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 52) Simhachalam Prime Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 53) Samattari Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji, (CD 54) Rudravaram Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 55) S.V. Equities Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Ch. Srikanth, (CD 56) Palladium Infrastructure & Projects Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Ch. Srikanth, Mihir, (CD 57) INDUS Palms Hotels & Resorts Limited Rep. By Its Authorised Signatory / Corporate Office (CD 58) Kalyug Developers Pvt. Ltd. Rep. By Its Authorised Signatory Mihir, (CD 59) Ivrc Hotels & Amp. Resorts Ltd. Rep. By Its Authorised Signatory Mihir, (CD 60) Soma Hotels & Amp. Resorts Ltd. Rep. By Its Authorised Signatory Mihir, (CD 61) Rihim Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 62) Kunnam Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 63) Kasubugga Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 64) Vijaywada Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir. (CD 65) Ivrc Steel Construction & Amp; Service Ltd. Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 66) Pappankuzhi Developers Pvt. Ltd. Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 67) M M Kuppam Developers Private Limited Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji (CD 68) Gamma Developers Private Ltd. Rep. By Its Authorised Signatory At 8-608-1/6, Naim Chambers, Beside Often Coffee Shop, Road No 10, Banjara Hills, Hyderabad-500034
--	---

सूचित किया जाता है कि ऋण वसुली न्यायधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2) के भणनीय पीटासीन अधिकारी द्वारा पत्र सं. OA/395/2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में जारी वसुली प्रमाणपत्र के अनुसार, आपके विरुद्ध ₹ 975,31,41,801 (नव लाख 7 नौ सौ पचत्तर करोड़ इकतीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ एक रुपये मात्र) की राशि देय हो गई है। उक्त राशि के साथ, दिनांक 06/05/2019 से वसुली की तारीख तक लंबित एवं 0% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर मजबूत के ब्याज सहित तथा ₹ 3,80,000 (तीन लाख असी हजार रुपये मात्र) (संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग/पूर्ण/सीमित रूप से) की लागत भी देय है।

2. आपको एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि यह नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें। ऐसा न करने पर यह वसुली बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसुली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।

3. आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि अगली सुनवाई की तिथि से पहले या सुनवाई की तिथि को अपनी समस्त आस्तियों का विवरण शपथ-पत्र (हलफनामा) पर घोषित करें।

4. आपको आगे की कार्यवाही के लिए दिनांक 16/09/2026 को सुबह 10:30 बजे अयोध्यातारकी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

5. पूर्वोक्त राशि के अलावा आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) ऐसी व्याज राशि, जो प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के पश्चात की अवधि के लिए देय हो;

(ख) देय राशि की वसुली के लिए यह नोटिस, वारंट जारी करने के संबंध में एलु खर्च तथा अन्य प्रक्रियाएं एवं वसुली कार्यवाहियों की समस्त लागत, शुल्क एवं व्यय यह आदेश दिनांक 12/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायधिकरण की मुहर के साथ जारी किया गया।

वसुली अधिकारी ऋण वसुली न्यायधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)

प्रतिनिधि: (सीएच-1) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

स्ट्रेट्स एस्टेट्स मेनेजमेंट शाखा-1, सिन्दरवाबाद प्रभाग डॉ. 6-2-915, 5वीं मंजिल, रियल्टीक, बीएमडब्ल्यूएसएसबी (BMWSSB) परिसर, हैदराबाद (सीएच-2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21 वीं मंजिल, विजय व्यापार केंद्र सेंटरल, कृष्ण पथ, मुंबई - 400005

क्षेत्रीय कार्यालय: गोवर्धन एडिफिस, द्वितीय मंजिल, 6-3-639/640, राजभवन रोड, हैदराबाद सेंटरल, हैदराबाद - 500004

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के पश्चात की अवधि के लिए देय हो;

(ख) देय राशि की वसुली के लिए यह नोटिस, वारंट जारी करने के संबंध में एलु खर्च तथा अन्य प्रक्रियाएं एवं वसुली कार्यवाहियों की समस्त लागत, शुल्क एवं व्यय यह आदेश दिनांक 12/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायधिकरण की मुहर के साथ जारी किया गया।

वसुली अधिकारी ऋण वसुली न्यायधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)

प्रतिनिधि: (सीएच-1) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

स्ट्रेट्स एस्टेट्स मेनेजमेंट शाखा-1, सिन्दरवाबाद प्रभाग डॉ. 6-2-915, 5वीं मंजिल, रियल्टीक, बीएमडब्ल्यूएसएसबी (BMWSSB) परिसर, हैदराबाद (सीएच-2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21 वीं मंजिल, विजय व्यापार केंद्र सेंटरल, कृष्ण पथ, मुंबई - 400005

क्षेत्रीय कार्यालय: गोवर्धन एडिफिस, द्वितीय मंजिल, 6-3-639/640, राजभवन रोड, हैदराबाद सेंटरल, हैदराबाद - 500004

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के पश्चात की अवधि के लिए देय हो;

(ख) देय राशि की वसुली के लिए यह नोटिस, वारंट जारी करने के संबंध में एलु खर्च तथा अन्य प्रक्रियाएं एवं वसुली कार्यवाहियों की समस्त लागत, शुल्क एवं व्यय यह आदेश दिनांक 12/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायधिकरण की मुहर के साथ जारी किया गया।

वसुली अधिकारी ऋण वसुली न्यायधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)

प्रतिनिधि: (सीएच-1) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

स्ट्रेट्स एस्टेट्स मेनेजमेंट शाखा-1, सिन्दरवाबाद प्रभाग डॉ. 6-2-915, 5वीं मंजिल, रियल्टीक, बीएमडब्ल्यूएसएसबी (BMWSSB) परिसर, हैदराबाद (सीएच-2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21 वीं मंजिल, विजय व्यापार केंद्र सेंटरल, कृष्ण पथ, मुंबई - 400005

क्षेत्रीय कार्यालय: गोवर्धन एडिफिस, द्वितीय मंजिल, 6-3-639/640, राजभवन रोड, हैदराबाद सेंटरल, हैदराबाद - 500004

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के पश्चात की अवधि के लिए देय हो;

(ख) देय राशि की वसुली के लिए यह नोटिस, वारंट जारी करने के संबंध में एलु खर्च तथा अन्य प्रक्रियाएं एवं वसुली कार्यवाहियों की समस्त लागत, शुल्क एवं व्यय यह आदेश दिनांक 12/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायधिकरण की मुहर के साथ जारी किया गया।

वसुली अधिकारी ऋण वसुली न्यायधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)

प्रतिनिधि: (सीएच-1) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

स्ट्रेट्स एस्टेट्स मेनेजमेंट शाखा-1, सिन्दरवाबाद प्रभाग डॉ. 6-2-915, 5वीं मंजिल, रियल्टीक, बीएमडब्ल्यूएसएसबी (BMWSSB) परिसर, हैदराबाद (सीएच-2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21 वीं मंजिल, विजय व्यापार केंद्र सेंटरल, कृष्ण पथ, मुंबई - 400005

क्षेत्रीय कार्यालय: गोवर्धन एडिफिस, द्वितीय मंजिल, 6-3-639/640, राजभवन रोड, हैदराबाद सेंटरल, हैदराबाद - 500004

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के पश्चात की अवधि के लिए देय हो;

(ख) देय राशि की वसुली के लिए यह नोटिस, वारंट जारी करने के संबंध में एलु खर्च तथा अन्य प्रक्रियाएं एवं वसुली कार्यवाहियों की समस्त लागत, शुल्क एवं व्यय यह आदेश दिनांक 12/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायधिकरण की मुहर के साथ जारी किया गया।

वसुली अधिकारी ऋण वसुली न्यायधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)

प्रतिनिधि: (सीएच-1) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

स्ट्रेट्स एस्टेट्स मेनेजमेंट शाखा-1, सिन्दरवाबाद प्रभाग डॉ. 6-2-915, 5वीं मंजिल, रियल्टीक, बीएमडब्ल्यूएसएसबी (BMWSSB) परिसर, हैदराबाद (सीएच-2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21 वीं मंजिल, विजय व्यापार केंद्र सेंटरल, कृष्ण पथ, मुंबई - 400005

क्षेत्रीय कार्यालय: गोवर्धन एडिफिस, द्वितीय मंजिल, 6-3-639/640, राजभवन रोड, हैदराबाद सेंटरल, हैदराबाद - 500004

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के पश्चात की अवधि के लिए देय हो;

(ख) देय राशि की वसुली के लिए यह नोटिस, वारंट जारी करने के संबंध में एलु खर्च तथा अन्य प्रक्रियाएं एवं वसुली कार्यवाहियों की समस्त लागत, शुल्क एवं व्यय यह आदेश दिनांक 12/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायधिकरण की मुहर के साथ जारी किया गया।

वसुली अधिकारी ऋण वसुली न्यायधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)

प्रतिनिधि: (सीएच-1) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

स्ट्रेट्स एस्टेट्स मेनेजमेंट शाखा-1, सिन्दरवाबाद प्रभाग डॉ. 6-2-915, 5वीं मंजिल, रियल्टीक, बीएमडब्ल्यूएसएसबी (BMWSSB) परिसर, हैदराबाद (सीएच-2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21 वीं मंजिल, विजय व्यापार केंद्र सेंटरल, कृष्ण पथ, मुंबई - 400005

क्षेत्रीय कार्यालय: गोवर्धन एडिफिस, द्वितीय मंजिल, 6-3-639/640, राजभवन रोड, हैदराबाद सेंटरल, हैदराबाद - 500004

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के पश्चात की अवधि के लिए देय हो;

(ख) देय राशि की वसुली के लिए यह नोटिस, वारंट जारी करने के संबंध में एलु खर्च तथा अन्य प्रक्रियाएं एवं वसुली कार्यवाहियों की समस्त लागत, शुल्क एवं व्यय यह आदेश दिनांक 12/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायधिकरण की मुहर के साथ जारी किया गया।

वसुली अधिकारी ऋण वसुली न्यायधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)

प्रतिनिधि: (सीएच-1) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

स्ट्रेट्स एस्टेट्स मेनेजमेंट शाखा-1, सिन्दरवाबाद प्रभाग डॉ. 6-2-915, 5वीं मंजिल, रियल्टीक, बीएमडब्ल्यूएसएसबी (BMWSSB) परिसर, हैदराबाद (सीएच-2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21 वीं मंजिल, विजय व्यापार केंद्र सेंटरल, कृष्ण पथ, मुंबई - 400005

क्षेत्रीय कार्यालय: गोवर्धन एडिफिस, द्वितीय मंजिल, 6-3-639/640, राजभवन रोड, हैदराबाद सेंटरल, हैदराबाद - 500004

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के पश्चात की अवधि के लिए देय हो;

(ख) देय राशि की वसुली के लिए यह नोटिस, वारंट जारी करने के संबंध में एलु खर्च तथा अन्य प्रक्रियाएं एवं वसुली कार्यवाहियों की समस्त लागत, शुल्क एवं व्यय यह आदेश दिनांक 12/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायधिकरण की मुहर के साथ जारी किया गया।

वसुली अधिकारी ऋण वसुली न्यायधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)

प्रतिनिधि: (सीएच-1) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

स्ट्रेट्स एस्टेट्स मेनेजमेंट शाखा-1, सिन्दरवाबाद प्रभाग डॉ. 6-2-915, 5वीं मंजिल, रियल्टीक, बीएमडब्ल्यूएसएसबी (BMWSSB) परिसर, हैदराबाद (सीएच-2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21 वीं मंजिल, विजय व्यापार केंद्र सेंटरल, कृष्ण पथ, मुंबई - 400005

क्षेत्रीय कार्यालय: गोवर्धन एडिफिस, द्वितीय मंजिल, 6-3-639/640, राजभवन रोड, हैदराबाद सेंटरल, हैदराबाद - 500004

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के पश्चात की अवधि के लिए देय हो;

(ख) देय राशि की वसुली के लिए यह नोटिस, वारंट जारी करने के संबंध में एलु खर्च तथा अन्य प्रक्रियाएं एवं वसुली कार्यवाहियों की समस्त लागत, शुल्क एवं व्यय यह आदेश दिनांक 12/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायधिकरण की मुहर के साथ जारी किया गया।

वसुली अधिकारी ऋण वसुली न्यायधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)

प्रतिनिधि: (सीएच-1) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

स्ट्रेट्स एस्टेट्स मेनेजमेंट शाखा-1, सिन्दरवाबाद प्रभाग डॉ. 6-2-915, 5वीं मंजिल, रियल्टीक, बीएमडब्ल्यूएसएसबी (BMWSSB) परिसर, हैदराबाद (सीएच-2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21 वीं मंजिल, विजय व्यापार केंद्र सेंटरल, कृष्ण पथ, मुंबई - 400005

क्षेत्रीय कार्यालय: गोवर्धन एडिफिस, द्वितीय मंजिल, 6-3-639/640, राजभवन रोड, हैदराबाद सेंटरल, हैदराबाद - 500004

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के पश्चात की अवधि के लिए देय हो;

(ख) देय राशि की वसुली के लिए यह नोटिस, वारंट जारी करने के संबंध में एलु खर्च तथा अन्य प्रक्रियाएं एवं वसुली कार्यवाहियों की समस्त लागत, शुल्क एवं व्यय यह आदेश दिनांक 12/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायधिकरण की मुहर के साथ जारी किया गया।

वसुली अधिकारी ऋण वसुली न्यायधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)

प्रतिनिधि: (सीएच-1) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

स्ट्रेट्स एस्टेट्स मेनेजमेंट शाखा-1, सिन्दरवाबाद प्रभाग डॉ. 6-2-915, 5वीं मंजिल, रियल्टीक, बीएमडब्ल्यूएसएसबी (BMWSSB) परिसर, हैदराबाद (सीएच-2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21 वीं मंजिल, विजय व्यापार केंद्र सेंटरल, कृष्ण पथ, मुंबई - 400005

क्षेत्रीय कार्यालय: गोवर्धन एडिफिस, द्वितीय मंजिल, 6-3-639/640, राजभवन रोड, हैदराबाद सेंटरल, हैदराबाद - 500004

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के पश्चात की अवधि के लिए देय हो;

(ख) देय राशि की वसुली के लिए यह नोटिस, वारंट जारी करने के संबंध में एलु खर्च तथा अन्य प्रक्रियाएं एवं वसुली कार्यवाहियों की समस्त लागत, शुल्क एवं व्यय यह आदेश दिनांक 12/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायधिकरण की मुहर के साथ जारी किया गया।

वसुली अधिकारी ऋण वसुली न्यायधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)

प्रतिनिधि: (सीएच-1) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

स्ट्रेट्स एस्टेट्स मेनेजमेंट शाखा-1, सिन्दरवाबाद प्रभाग डॉ. 6-2-915, 5वीं मंजिल, रियल्टीक, बीएमडब्ल्यूएसएसबी (BMWSSB) परिसर, हैदराबाद (सीएच-2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21 वीं मंजिल, विजय व्यापार केंद्र सेंटरल, कृष्ण पथ, मुंबई - 400005

क्षेत्रीय कार्यालय: गोवर्धन एडिफिस, द्वितीय मंजिल, 6-3-639/640, राजभवन रोड, हैदराबाद सेंटरल, हैदराबाद - 500004

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के पश्चात की अवधि के लिए देय हो;

<

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



ENS ENTERPRISES LIMITED

CIN: U74120UP2016PLC075577



(Please scan this QR Code to view the Prospectus and the Abridged Prospectus)

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name of “ENS Enterprises Private Limited” on January 07, 2016 under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, Kanpur. Pursuant to the resolution passed by the shareholders at Extra-Ordinary General Meeting held on May 05, 2025, the Company was converted into a Public Limited Company, and its name was changed from “ENS Enterprises Private Limited” to “ENS Enterprises Limited” and a fresh Certificate of Incorporation consequent to the conversion was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, dated May 08, 2025.The CIN of our Company is U74120UP2016PLC075577. For details of incorporation, change of registered office of our Company, please refer to the section title “History and Corporate Structure” on page no. 156 of this Prospectus.

Registered Office: B-16, 2nd Floor, Sector – 63, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh – 201301
Telephone: +91-92179 95892; **Website:** www.ens.enterprises; **E-mail:** cs@ens.enterprises
Contact person: Mr. Akhil Jain, **Company Secretary and Compliance Officer**

OUR PROMOTERS: MR. MANISH KUMAR SRIVASTAVA, MR. AVINASH KUMAR SINGH AND MR. ANUPAM KUMAR SRIVASTAVA

The Issue is being made in accordance with Regulation 229(2) of Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations and the equity shares are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 36,02,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF ENS ENTERPRISES LIMITED FOR CASH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 92/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 82/- PER EQUITY SHARE) (“ISSUE PRICE”) AGGREGATING UP TO LAKHS COMPRISING OF FRESH ISSUE OF UP TO 36,02,400 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 3,314.21 LAKHS (“FRESH ISSUE”) (“THE ISSUE”) AND UPTO 1,81,200 EQUITY SHARES AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 92/- PER SHARE AGGREGATING TO ₹ 166.70/- LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER (“MARKET MAKER RESERVATION PORTION”). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF UP TO 34,21,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 92/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 3147.50/- LAKHS (“NET ISSUE”). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50% AND 25.17% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. PLEASE REFER TO SECTION TITLED “TERMS OF THE ISSUE” BEGINNING ON PAGE NO. 222 OF THIS PROSPECTUS.

PROPOSED LISTING

The Equity Shares offered through the Red-Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited (“**BSE SME**”). Our Company has received in-principle approval vide letter LO/ SME-IP0/JB/IP/719/2025-26 dated February 25, 2026 from BSE for listing of the Equity Shares. For the purposes of this Issue, BSE shall be the Designated Stock Exchange. The trading is proposed to be commenced on Friday, August 21, 2026 (Subject to receipt of listing and trading approvals from BSE).

BID/ISSUE PROGRAMME:	ANCHOR INVESTOR PORTION: THURSDAY, AUGUST 13, 2026	BID/ISSUE OPENED ON: FRIDAY, AUGUST 14, 2026	BID/ISSUE CLOSED ON: TUESDAY, AUGUST 18, 2026
-----------------------------	---	---	--

RISK TO INVESTORS

- Substantial portion of our revenues has been dependent on few customers. Further we do not have any long-term commitments from customers and any failure to continue our existing arrangements or loss of any one or more of our major clients would adversely affect our business and results of operations.
- There have been certain instances of Delays in Filing with Registrar of Companies, non-filing, or partial compliance with the requirements of certain statutory authorities and applicable regulatory provisions.
- There are outstanding litigation proceedings involving our Company, our Promoters, an adverse outcome in which, may have an adverse impact on our reputation, business, financial condition, results of operations and cash flows.
- There are certain instances of delays in payment of statutory dues. Any delay in payment of statutory dues or non-payment of statutory dues in dispute may attract financial penalties from the respective government authorities, which may have an adverse impact on our financial condition and cash flows.
- We have experienced negative cash flows and any negative cash flows in the future could adversely affect our financial conditions and results of operations.

OTHER RISKS

- Average Cost of Acquisition of Equity Shares by our Promoters:

Name of the Promoter	Number of Equity Shares held	Average cost per Equity Share (Rs)
Manish Kumar Srivastava	24,94,440	0.04
Avinash Kumar Singh	24,98,126	0.04
Anupam Kumar Srivastava	24,92,595	0.04

Weighted average cost of acquisition of all shares transacted in (i) last one (1) year; (ii) last eighteen (18) months and (iii) last three (3) years preceding the date of this Prospectus

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Cap Price (₹ 92) is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition*	Range of Acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in Rs.)*
Last one year preceding the date of the Prospectus	Nil	Nil	Not Applicable
Last three years preceding the date of the Prospectus	65	1.42	0 - 65

Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price in the last 18 months

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor Price (i.e. ₹ 87)	Cap Price (i.e. ₹ 92)
Weighted Average Cost of Acquisition of Primary/ new issuance as per paragraph 7(a) above	65.00	1.34 times	1.42 times
Weighted Average Cost of Acquisition of Secondary transactions as per paragraph 7(b) above	N.A.	N.A.	N.A.
Weighted average cost of acquisition of primary issuances/ secondary transactions as per paragraph 7(c) above	N.A.	N.A.	N.A.

PRICE BAND: ₹87/- TO ₹92/- PER EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH.
ISSUE PRICE: ₹ 92 PER EQUITY SHARES OF PAID-UP VALUE OF ₹10/- EACH. THE ISSUE PRICE IS 9.2 TIMES OF THE FACE VALUE

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (“SCRR”) read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 (1) and 253 (2) of the SEBI ICDR Regulations 2018 and as amended, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) (the “QIB Portion”), provided that our Company in consultation with the BRLM may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations (“Anchor Investor Portion”), 33.33% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds and 6.67% for Life Insurance Companies and Pension Funds (aggregating to 40%), subject to valid Bids being received from them at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) (“Net QIB Portion”). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, other than Anchor Investors, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, the SEBI ICDR Regulations read with SEBI ICDR, 2018 and amendments thereto. States that not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors who applies for minimum application size. Not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Investors of which one-third of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots as equivalent to not more than ₹10.00 Lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 10.00 Lakhs and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Portion. Subject to the availability of shares in non-institutional investors” category, the allotment to each Non-Institutional Investors shall not be less than the minimum application size in Non-Institutional Category and the remaining available Equity Shares, if any, shall be allocated on a proportionate basis in accordance with the conditions specified in this regard in Schedule XIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and as amended. All Potential Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Issue by mandatorily utilising the Application Supported by Blocked Amount (“ASBA”) process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self-Certified Syndicate Banks (“SCSBs”) or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, please refer to the chapter titled “*Issue Procedure*” on page 237 of this Prospectus.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Bid/Issue opened for Anchor portion opened and closed Thursday, August 13, 2026. The Bid/Offer opened for public on

Friday, August 14, 2026, and closed on Tuesday, August 18, 2026.

Details of Anchor Investors: The Company received 02 Anchor Investor Application Forms from 02 Anchor Investors (including Nil mutual funds through Nil Mutual Fund schemes & Nil life insurance companies and pension funds) for 10,26,000 Equity Shares. Such 02 Anchor Investors through 02 Anchor Investor Application Forms were allocated 10,26,000 Equity Shares at a price of Rs. 92/- per Equity Share under the Anchor Investor Portion, aggregating to Rs. 9,43,92,000/-

The issue was subscribed to the extent of **16.10** times (excluding the Anchor Investor Portion) as per the bid books of BSE (the “**Bid Files**”) after removing multiple and duplicate bids.

After removing multiple and duplicate bids, bids (UPI Mandates) not accepted by investors / blocked, bids rejected under application banked but bid not registered and valid rejections cases from the “**Bid Book**”, the Issue was subscribed **12.23** times (excluding the Anchor Investor Portion). The details of the break-up of rejections from the bid book under the various heads are as mentioned below:

Details of Application Received: (After Technical Rejections)

Sr. No.	Category	Gross		Less: Valid Rejections		Valid		Allotment	
		Appli cations	Equity Shares	Ap plicati ons	Equity Shares	Appli cations	Equity Shares	Appli cations	Equity Shares
1	Qualified Institutional Buyers	14	64,54,800	0	0	14	64,54,800	13	6,84,000
2	Non-Institutional Investors 1 (not more than 1,000,000/-)	638	26,13,600	13	48,000	625	25,65,600	47	1,71,600
3	Non-Institutional Investors 2 (More than 1,000,000/-)	726	92,64,000	7	87,600	719	91,76,400	95	3,42,000
4	Market Maker	1	1,81,200	0	0	1	1,81,200	1	1,81,200
5	Individual Investors	5,532	1,32,76,800	63	1,51,200	5,469	1,31,25,600	499	11,97,600
Total		6,911	3,17,90,400	83	2,86,800	6,828	3,15,03,600	655	25,76,400

Final Demand

A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/ Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr.No.	Price	Bids	Shares Applied	Amount Applied
1	87.00	10	24,000	20,88,000.00
2	88.00	2	4,800	4,22,400.00
3	89.00	2	4,800	4,27,200.00
4	90.00	9	33,600	30,24,000.00
5	91.00	2	4,800	4,36,800.00
6	92.00	6,886	3,17,18,400	2,91,80,92,800.00
Total		6,911	3,17,90,400	2,92,44,91,200.00

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE on August 19, 2026.

A. Allocation to Individual Investors (After Technical Rejections) (including ASBA applications): The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have bid at the Cut-Off Price or at the Issue Price of Rs. 92 per Equity Share, was finalized in consultation with the BSE. This category has been subscribed to the extent of 10.96 times. The total number of Equity Shares Allotted in Individual Investor Portion is 1197600 Equity Shares to 499 successful Individual Investors. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category Wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of allottees to applicants	Number of Successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (7)-(13)	
							Before rounding off	After rounding off							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	2400	5469	100.00	13125600	100.00	1197600	219	2400	499	5469	499	100.00	1197600	100.00	0
Grand Total		5469	100.00	13125600	100.00	1197600	219	2400		499	100.00	1197600	100.00	0	

B. Allocation to Non-Institutional Investors up to Rs. 10,00,000 (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Individual Investor upto Rs. 10,00,000, who have bid at the Issue Price of Rs. 92 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 14.95 times (after rejections). The total number of Equity Shares allotted in this category is 171600 Equity Shares to 47 successful to Individual Investor upto Rs. 10,00,000. The category-wise details of the Basis of Allotment is as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category Wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of allottees to applicants	Serial Number of Qualifying applicants	Number of Successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (7)-(14)
							Before rounding off	After rounding off							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	3600	529	84.64	1904400	74.2282507	145242.24	274.56	3600	40	529	40	85.106383	144000	83.91608392	-1242.24
2	4800	50	8.00	240000	9.35453695	13728	274.56	3600	2	25	4	8.5106383	14400	8.391608392	672
3	6000	4	0.64	24000	0.935453695	1098.24	274.56	3600	0	4	0	0	0	0	-1098.24
4	7200	11	1.76	79200	3.086997194	3020.16	274.56	3600	1	11	1	2.12765957	3600	2.097902098	579.84
5	8400	4	0.64	33600	1.309635173	1098.24	274.56	3600	0	4	0	0	0	0	-1098.24
6	9600	6	0.96	57600	2.245088868	1647.36	274.56	3600	0	6	0	0	0	0	-1647.36
7	10800	21	3.36	226800	8.840037418	5765.76	274.56	3600	2	21	2	4.25531915	7200	4.195804196	1434.24
8				Serial No 2,4,7 shall be allocated 2400 shares to the Allottees				1200	2	7	0	0	2400	1.398601399	2400
Total		625	100.00	2565600	100.00	171600					47	100.00	171600	100.00	0

....continue to next page

भारत-जापान के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का समझौता

भारत-जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और अमेरिका तथा ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी पर भी चर्चा

बीएस संवाददाता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जापान के रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइजुमी से द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-जापान की रणनीतिक साझेदारी और खास तौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इसमें व्यावहारिक स्तर पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

नई दिल्ली में बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान के मुताबिक, भारत और जापान अपनी नौसेनाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसमें समुद्री क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान, समुद्र में स्थिति पर नजर रखने की क्षमता बढ़ाना और समुद्र में खोज एवं बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष बलों के बीच भी संपर्क और आदान-प्रदान बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों मंत्रियों ने भविष्य में भारत में संयुक्त सैन्य कमान स्थापित होने के बाद जापान के साथ इन कमान के स्तर पर भी सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति

जताई। भारत में संयुक्त कमान बनाने की योजना को अभी सुरक्षा से जुड़ी मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी मिलना बाकी है। भारत के हिंद महासागर में रणनीतिक हितों को देखते हुए देश में एक समुद्री संयुक्त कमान बनाए जाने की उम्मीद है।

दोनों देश समुद्री व्यापार और संचार के महत्वपूर्ण रास्तों की सुरक्षा के लिए भी बेहतर तालमेल बनाएंगे। इसके लिए नौसैनिक जहाजों की एक-दूसरे के देशों में यात्राएं, संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्यकर्मियों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान तथा बंदरगाहों और रखरखाव एवं मरम्मत सुविधाओं के इस्तेमाल जैसे लॉजिस्टिक सहयोग को बढ़ाया जाएगा।

दोनों रक्षा मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया ताकि इससे भारत और जापान की रणनीतिक और परिचालन से जुड़ी जरूरतें पूरी हो सकें। भारत और जापान समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए सहयोग बढ़ाएंगे। इसके साथ ही दोनों देश नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास और डिजाइन की संभावनाएं भी तलाशेंगे। इसमें जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों ने एक कार्यशील समूह



नई दिल्ली में गुरुवार को आयोजित बैठक के दौरान जापान के रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइजुमी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

बनाने पर भी चर्चा की। यह समूह सैन्य अभियानों, खुफिया जानकारी, रक्षा उपकरण, तकनीक और रक्षा उद्योग से जुड़े क्षेत्रों में एकीकृत तरीके से सहयोग को आगे बढ़ाने पर काम करेगा। इसमें दोनों देशों की अपनी-अपनी नीतियों और संप्रभु फैसलों का पूरा सम्मान किया

जाएगा। दोनों मंत्रियों ने भारत और जापान की सरकारों तथा सशस्त्र बलों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का स्वागत किया। दोनों देश 'जापान-भारत के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' के तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को मजबूत करने के लिए

सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री साने तাকাइची से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत-जापान संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की थी।

भारत और जापान के साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड के सदस्य हैं। यह चार देशों का समूह वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के कुछ समय बाद औपचारिक रूप से बनाया गया था। हालांकि, क्वाड की 2024 के बाद से कोई शिखर बैठक नहीं हुई है लेकिन इस साल की शुरुआत में इस समूह ने समुद्री सहयोग से जुड़े एक समझौते की घोषणा की थी।

कुछ समय तक क्वाड का मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक मंच के रूप में काम करना माना जाता रहा। हालांकि, क्वाड की उपयोगिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं खासतौर पर ऐसे समय में जब अमेरिका का ध्यान एशिया से कुछ हद तक हटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग लगातार जारी है।

गुरुवार को हुई भारत-जापान द्विपक्षीय बैठक

में राजनाथ सिंह और कोइजुमी ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने बढ़ते वैश्विक तनाव, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और अमेरिका तथा ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी और जवाबी नाकेबंदी से पैदा हुई स्थिति पर अपने आकलन साझा किए। इन घटनाओं के कारण वैश्विक तेल कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और कई महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग प्रभावित हुए हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रथ सोशल पर कहा था कि वह जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की घोषणा करेंगे। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि इस संकरे समुद्री मार्ग के महत्वपूर्ण हिस्सों पर उसका नियंत्रण है। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने ऐसी किसी भी एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया, जिससे समुद्र और हवाई क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रभावित होती हो। दोनों देशों ने बल या दबाव के जरिए मौजूदा स्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश का भी विरोध किया। भारत और जापान के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक इस साल के अंत में जापान की राजधानी टोक्यो में होने की उम्मीद है।

...in continuation of previous page

C. Allotment to Non-Institutional Investors above Rs. 10,00,000 (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Institutional Investors above Rs. 10,00,000, who have bid at the Issue Price of Rs. 92 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 26.83 times (after rejections). The total number of Equity Shares allotted in this category is 3,42,000 Equity Shares to 95 successful Institutional Investors above Rs. 10,00,000. The category-wise details of the Basis of Allotment is as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category Wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of allottees to applicants	Serial Number of Qualifying applicants	Number of Successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (7)-(14)
							Before rounding off	After rounding off							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	12000	686	95.41	8232000	89.70838237	326303.1989	475.6606398	3600	13	98	91	95.78947368	327600	95.78947368	1296.801113
2	14400	1	0.14	14400	0.156924284	475.6606398	475.6606398	3600	0	1	0	0	0	0	-475.6606398
3	15600	8	1.11	124800	1.360010462	3805.285118	475.6606398	3600	1	8	1	1.052631579	3600	1.052631579	-205.2851182
4	18000	1	0.14	18000	0.196155355	475.6606398	475.6606398	3600	0	1	0	0	0	0	-475.6606398
5	19200	1	0.14	19200	0.209232379	475.6606398	475.6606398	3600	0	1	0	0	0	0	-475.6606398
6	21600	2	0.28	43200	0.470772852	951.3212796	475.6606398	3600	0	2	0	0	0	0	-951.3212796
7	24000	4	0.56	96000	1.046161894	1902.642559	475.6606398	3600	1	4	1	1.052631579	3600	1.052631579	1697.357441
8	26400	5	0.70	132000	1.438472604	2378.303199	475.6606398	3600	1	5	1	1.052631579	3600	1.052631579	1221.696801
9	31200	1	0.14	31200	0.340002615	475.6606398	475.6606398	3600	0	1	0	0	0	0	-475.6606398
10	32400	1	0.14	32400	0.353079639	475.6606398	475.6606398	3600	0	1	0	0	0	0	-475.6606398
11	33600	1	0.14	33600	0.366156663	475.6606398	475.6606398	3600	0	1	0	0	0	0	-475.6606398
12	34800	1	0.14	34800	0.379233686	475.6606398	475.6606398	3600	0	1	0	0	0	0	-475.6606398
13	36000	1	0.14	36000	0.39231071	475.6606398	475.6606398	3600	0	1	0	0	0	0	-475.6606398
14	37200	1	0.14	37200	0.405387734	475.6606398	475.6606398	3600	0	1	0	0	0	0	-475.6606398
15	49200	1	0.14	49200	0.53615797	475.6606398	475.6606398	3600	0	1	0	0	0	0	-475.6606398
16	54000	2	0.28	108000	1.17693213	951.3212796	475.6606398	3600	0	2	0	0	0	0	-951.3212796
17	55200	1	0.14	55200	0.601543089	475.6606398	475.6606398	3600	0	1	0	0	0	0	-475.6606398
18	79200	1	0.14	79200	0.863083562	475.6606398	475.6606398	3600	0	1	0	0	0	0	-475.6606398
								3600	1	16	1	1.052631579	3600	1.052631579	3600
Grand Total		719	100.00	9176400	100.00	342000					95	100.00	342000	100.00	0

D. Allotment to QIBs (after rejections): Allotment to QIBs, who have Bid at the Issue Price of Rs. 92 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with the BSE. This category has been subscribed to the extent of 9.44 times of QIB Portion. The total number of Equity Shares Allotted in the QIB Portion is 6,84,000 Equity Shares which were allotted to 13 successful QIB Investors. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category Wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of allottees to applicants	Serial Number of Qualifying applicants	Number of Successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (7)-(14)
							Before rounding off	After rounding off							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	4,800	1	7.14	4,800	0.07	509	509	3,600	0	1	0	0.00	0	0.00	-509
2	22,800	1	7.14	22,800	0.35	2,416	2,416	3,600	1	1	1	7.69	3,600	0.53	1,184
3	42,000	1	7.14	42,000	0.65	4,451	4,451	4,800	1	1	1	7.69	4,800	0.70	349
4	55,200	1	7.14	55,200	0.86	5,849	5,849	6,000	1	1	1	7.69	6,000	0.88	151
5	1,60,800	1	7.14	1,60,800	2.49	17,040	17,040	16,800	1	1	1	7.69	16,800	2.46	-240
6	1,68,000	1	7.14	1,68,000	2.60	17,803	17,803	18,000	1	1	1	7.69	18,000	2.63	197
7	2,86,800	1	7.14	2,86,800	4.44	30,392	30,392	30,000	1	1	1	7.69	30,000	4.39	-392
8	3,00,000	1	7.14	3,00,000	4.65	31,790	31,790	31,200	1	1	1	7.69	31,200	4.56	-590
9	3,25,200	1	7.14	3,25,200	5.04	34,461	34,461	34,800	1	1	1	7.69	34,800	5.09	339
10	3,31,200	1	7.14	3,31,200	5.13	35,096	35,096	34,800	1	1	1	7.69	34,800	5.09	-296
11	3,52,800	1	7.14	3,52,800	5.47	37,385	37,385	37,200	1	1	1	7.69	37,200	5.44	-185
12	3,80,400	1	7.14	3,80,400	5.89	40,310	40,310	40,800	1	1	1	7.69	40,800	5.96	490
13	16,29,600	1	7.14	16,29,600	25.25	1,72,685	1,72,685	1,72,800	1	1	1	7.69	1,72,800	25.26	115
14	23,95,200	1	7.14	23,95,200	37.11	2,53,814	2,53,814	2,53,200	1	1	1	7.69	2,53,200	37.02	-614
Grand Total		14	100.00	64,54,800	100.00	6,84,000					13	100.00	6,84,000	100.00	0

E. Allocation to Market Maker (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of Rs. 92 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times. The total number of shares allotted in this category 1,81,200 Equity Shares to 01 successful applicant.

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category Wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of allottees to applicants	Serial Number of Qualifying applicants	Number of Successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (7)-(14)
							Before rounding off	After rounding off							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	1,81,200	1	100.00	1,81,200	100.00	1,81,200	1,81,200	1,81,200	1	1	1	100.00	1,81,200	100.00	0
Grand Total		1	100.00	1,81,200	100.00	1,81,200	1,81,200	1,81,200			1	100.00	1,81,200	100.00	0

The Board of Directors of the Company at its meeting held on August 19, 2026 has taken on record the Basis of Allocation of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange and has authorized the corporate action for the transfer of the Equity Shares to various successful applicants.

The refund / allotment intimation will be dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories on or about August 20, 2026. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will be processed on or prior to August 20, 2026. In case the same is not received within ten days, investors may contact Registrar at the address given below.

The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on BSE within three working days from the date of the closure of the Issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated August 19, 2026 (“Prospectus”).

The Book Running Lead Manager associated with the Issue have handled 12 SME public issues and NIL Main Board Public Issues during the current financial year and three financial years preceding the current Financial Year as described below:

Type	FY 2026-27	FY 2025-26	FY 2024-25	Total
SME IPO	5	6	1	12
MAIN Board IPO	-	-	-	-
TOTAL	5	6	1	12
STATUS UPTO AUGUST 20, 2026	5	6	1	12

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, Abhipra Capital Limited at www.abhipra.com.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

	ABHIPRA CAPITAL LIMITED
	GF 58-59, World Trade Center, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi - 110001, Telephone: +91-11-42390799, Email ID: cs@abhipra.com
	Investor Grievance Email: grievance@abhipra.com , Website: www.abhipra.com
	Contact Person: Mr. Kapil Bansal SEBI Registration Number: INR000003829, CIN: U74899DL1994PLC061802

For **ENS Enterprises Limited**
On behalf of the Board of Directors

Place: Noida
Date: August 20, 2026

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF ENS ENTERPRISES LIMITED.

ENS Enterprises Limited has filed the Prospectus with RoC and the SEBI on August 19, 2026. The Prospectus is expected to be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com, respectively, the website of the Company at www.ensenterprises.com and on the websites of the Book Running Lead Manager (“**BRLM**”), i.e. Corporate Makers Capital Limited at www.corporatemakers.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see “**Risk Factors**” beginning on page 25 of the Prospectus. Potential investors should not rely on the Prospectus filed with SEBI and the Stock Exchanges, and should instead rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved, for making any investment decision. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States. The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1

‘उद्योग परीक्षण’ का पुराना ढांचा बरकरार

उच्चतम न्यायालय ने पुराने मामलों के लिए दी यह व्यवस्था, नई संहिता के तहत आगे तय होगी परिभाषा

भाविनी मिश्रा

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उसके द्वारा लगभग 50 साल पुराने ‘बेंगलूर जलापूर्ति’ फैसले में ‘उद्योग’ की दी गई व्याख्या नई औद्योगिक संबंध संहिता (आईआरसी) 2020 के तहत आने वाले विवादों पर स्वतः लागू नहीं होगी।

इस फैसले से पुराने और नए श्रम विवादों के बीच एक स्पष्ट अंतर स्थापित हो गया है। 1978 के फैसले ने उद्योग की परिभाषा का दायरा काफी व्यापक रखा था लेकिन अब अदालत ने यह व्यवस्था दी है कि यह तय करने के लिए एक नया ढांचा विकसित किया जा सकता है कि कोई गतिविधि या प्रतिष्ठान ‘उद्योग’ की श्रेणी में आता है या नहीं। इसके लिए 1978 में तय किए गए परीक्षण को स्वतः लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत पैदा होने वाले मामलों का फैसला आगे भी 1978 में तय किए गए व्यापक परीक्षण के आधार पर ही किया जाता रहेगा। लेकिन नई संहिता के तहत उद्योग की

परिभाषा की व्याख्या अदालतों को स्वतंत्र रूप से करनी होगी। पुराने फैसले को इस व्याख्या का स्वतः आधार नहीं माना जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने मामले के कई पहलुओं पर विभाजित फैसला दिया। पीठ के सामने मुख्य सवाल 1947 के अधिनियम की धारा 2(जे) के तहत उद्योग शब्द के अर्थ का था। बेंगलूर जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा मामले में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता वाले सात सदस्यीय पीठ ने उद्योग शब्द की बहुत व्यापक व्याख्या की थी।

उस फैसले में कहा गया था कि कोई गतिविधि तभी उद्योग मानी जाएगी जब वह संगठित और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो, उसमें नियुक्ता और कर्मचारियों के बीच सहयोग शामिल हो तथा वह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या उपलब्धता कराती हो।

इस तिहरे परीक्षण के कारण कई तरह के प्रतिष्ठान श्रम कानूनों के दायरे में आ गए थे। इनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और नगरपालिकाएं भी शामिल



थीं। केवल प्रमुख संप्रभु कार्य जैसे न्यायपालिका, रक्षा और कानून प्रवर्तन को बाहर रखा गया था। नई आईआरसी जो नवंबर 2025 में लागू हुई वह धारा 2(पी) के तहत उद्योग को परिभाषित करती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में बहुमत ने माना कि धारा 2(जे) की व्याख्या को धारा 2(पी) की व्याख्या का आधार नहीं माना जा सकता। इसमें न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, आलोक अराधे और विपुल एम. पंचोली शामिल थे। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और जॉयमाल्या बागची ने इस पहलू पर बहुमत से सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘आईआरसी की धारा 2(पी) में ‘उद्योग’ का भविष्य धारा 2(जे) की व्याख्या से बोझिल नहीं है।’ यद्यपि यह निर्णय पुराने कानून के तहत लंबित या निष्पादित मामलों को

प्रभावित नहीं करता। उन्होंने कहा कि 1947 अधिनियम के तहत अदालतों, न्यायाधिकरणों और श्रम प्राधिकरणों के समक्ष कार्यवाही बेंगलूर जलापूर्ति निर्णय के अनुसार ही तय की जानी चाहिए। देश की अग्रणी लॉ फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास के विवाद मामलों के प्रमुख इंद्रनील देशमुख ने कहा, ‘लंबित मामले, पूर्व पुरस्कार और निष्पादित समझौते 1978 परीक्षण द्वारा शासित रहेंगे। वास्तविक परिणाम भविष्य के लिए है क्योंकि अदालत ने कहा है कि 1978 का निर्णय नई संहिता के लिए व्यापक आधार नहीं माना जाएगा। नियुक्ताओं को इसलिए कोड के तहत एक नई शुरुआत मिलती है जबकि श्रमिकों को पहले से प्राप्त सुरक्षा बनी रहती है।’ देशमुख ने यह भी कहा कि उनकी टिप्पणियां मीडिया रिपोर्टों पर

आधारित हैं क्योंकि पूर्ण निर्णय और राय अभी प्रतीक्षित हैं। उन्होंने कहा कि धारा 2(जे) के तहत उद्योग एक परिभाषित वैधानिक अभिव्यक्ति थी न कि केवल सामान्य शाब्दिक अर्थ। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक विशिष्ट कानूनी अर्थ दिया था और यही कारण है कि निर्णायक नहीं रही थीं।

ऋषभ गांधी ऐंड एसोसिएट्स के संस्थापक ऋषभ गांधी ने कहा, ‘निर्णय का तात्कालिक प्रभाव सीमित लेकिन महत्वपूर्ण है। 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत लंबित कार्यवाहियां बेंगलूर जलापूर्ति में निर्धारित व्यापक परीक्षण द्वारा शासित होती रहेंगी। नियुक्ता इस निर्णय का उपयोग निष्पादित मामलों को फिर से खोलने या पुराने कानून के तहत लंबित विवादों में देयता से बचने के लिए नहीं कर सकते।’

उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, परोपकारी निकायों और सरकारी संस्थाओं के लिए प्रासंगिक है जिनकी उद्योग के रूप में स्थिति अक्सर विवादित रही है। गांधी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आईआरसी के तहत ‘उद्योग’ की व्याख्या स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए। 1947 अधिनियम के तहत विकसित व्यापक व्याख्या को स्वतः नई संहिता में नहीं लाया जा सकता।

झारखंड में नियुक्तियां रद्द करने पर अदालत की रोक

एजेंसियां

झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं तक के माध्यम से नियुक्त किए गए सरकारी कर्मियों की नियुक्तियां रद्द करने से संबंधित अधिसूचनाओं पर गुरुवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द करने से संबंधित अधिसूचना के अमल पर भी रोक लगा दी।

सरकारी अधिसूचनाओं के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ताओं के वकील अमृतांशु वत्स ने बताया कि उच्च न्यायालय ने आरंभिक तौर पर 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं तक के जरिए हुई नियुक्तियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्ति रद्द करने से जुड़ी अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी है। वत्स के अनुसार न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, इसलिए इस मामले पर रोक लगायी जाती है। वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस आदेश से लगभग 450 उम्मीदवारों को राहत मिली है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर चयनित 54 उम्मीदवारों को उच्च न्यायालय के आदेश से राहत मिली। ये लोग अपनी परीक्षा रद्द होने के बाद नतीजों का इंतज़ार कर रहे थे। इस आदेश

नीट: पुलिस कार्रवाई की जांच को समिति

नई दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित ज्यादतियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने समिति गठित कर दी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना के पीठ ने कहा कि इस समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी एलआर बिश्नोई भी शामिल हैं। समिति से कहा गया है कि वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल समेत अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच करे।

के बाद राज्य सचिवालय के बाहर राहत और जश्न का माहौल देखा गया। गुमला में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के तौर पर तैनात आशा राज ने बताया कि सरकार द्वारा रद्द की गई 22 परीक्षाओं में उनकी परीक्षा भी शामिल थी।

बांग्लादेश के पीएम की भारत यात्रा पर संशय

भाषा

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के अगले महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत यात्रा पर जाने की संभावना बहुत कम है। विदेश मामलों के संबंध में प्रधानमंत्री के सलाहकार हुमायूं कबीर ने यह बात कही। कबीर ने कहा कि जब तक आपसी विश्वास पर आधारित उचित माहौल तैयार नहीं किया जाता और नई दिल्ली की ओर से सम्मानजनक निर्माण नहीं दिया जाता, तब तक प्रधानमंत्री रहमान के भारत दौर की संभावना काफी कम है।

उन्होंने कहा कि ढाका स्पष्ट रूप से तय किए गए राष्ट्रीय हितों के बिना उच्च-स्तरीय यात्रा आयोजित करने की कोई जल्दबाजी में नहीं है। कबीर ने एक साक्षात्कार में सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ से कहा, ‘राष्ट्रीय हितों से समझौता करके या उनसे आगे बढ़कर उच्च-स्तरीय यात्रा के लिए जल्दबाजी करने का कोई औचित्य नहीं है।’ यह साक्षात्कार 17 अगस्त को लिया गया था और गुरुवार को प्रकाशित हुआ। इन टिप्पणियों के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान की 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन



तारिक रहमान, पीएम, बांग्लादेश

के लिए नई दिल्ली यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

आलमगीर नए राष्ट्रपति

बीएनपी के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर गुरुवार को देश के नये राष्ट्रपति चुने गए। देश में इस पद के लिए 35 साल में पहली बार हुए मुकाबले में 78 वर्षीय आलमगीर ने 255 मत प्राप्त किये। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी ए.एम.एम. नासिर उद्दीन ने कहा कि बीएनपी के वरिष्ठ नेता ने अपने प्रतिद्वंद्वी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष एवं जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11-दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद को हरा दिया।

एआई से एसएमबी को विज्ञापनों में मिली मदद

उद्दिशा श्रीवास्तव

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) विभिन्न कारोबारों को लागत के बोझ, जटिलता और सीमित संसाधनों जैसी पारंपरिक बाधाओं से निजात पाकर विज्ञापनों को कहीं अधिक बेहतर और सुलभ बनाने में मदद कर रहा है।

एमेज़ॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 10 में से 9 (87 प्रतिशत) लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय (एसएमबी) कहते हैं कि एआई संचालित विज्ञापन उपकरणों ने उन्हें उन विज्ञापन चैनलों, दर्शकों या प्रारूपों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है जो पहले उनकी पहुंच से बाहर लगते थे। इनमें स्ट्रीमिंग टीवी जैसे उच्च-प्रभाव वाले वीडियो प्रारूप भी शामिल हैं। पहुंच में विस्तार के अलावा एआई व्यवसायों को बढ़ने में भी मदद कर रहा है। 75 फीसदी का कहना है कि एआई सक्षम विज्ञापन ने व्यवसाय वृद्धि का समर्थन किया है और 68 प्रतिशत का कहना है कि सरल उपकरणों के कारण उनके विज्ञापन में अधिक रचनात्मकता खुली है। एमेज़ॉन ऐड्स द्वारा तैयार और ओपनियम द्वारा संचालित इस रिपोर्ट में 7 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 तक के आंकड़े शामिल हैं। एआई प्रयोग को लागत को कम कर



रहा है और एसएमबी को तेज

प्रतिक्रिया प्रदान कर रहा है, जिससे वे विस्तार या नई उत्पाद श्रृंखलाएं लांच जैसी विकास रणनीतियों को अपनाने में सक्षम हो रहे हैं। तीन-चौथाई (75 प्रतिशत) का कहना है कि एआई सक्षम विज्ञापन गतिविधि या रणनीति ने व्यवसाय वृद्धि का समर्थन किया है, 59 प्रतिशत का कहना है कि इसने उन्हें नए देशों में विस्तार करने में मदद की है और 58 प्रतिशत का कहना है कि इसने उन्हें नई उत्पाद श्रेणियां शुरू करने की क्षमता दी है।

नए चैनलों तक पहुंच और वैश्विक विस्तार की क्षमता से परे एसएमबी अभियान वितरण में भी व्यावहारिक लाभ देखते हैं। 65 प्रतिशत का कहना है कि एआई तेज अनुकूलन सक्षम करता है, 62 प्रतिशत का कहना है कि यह उन्हें ग्राहकों को जल्दी खोजने में मदद करता है।

मुफ्त पेशकश से बदल जाएगा कोचिंग बाजार छोटे और मझोले कोचिंग केंद्रों को अस्तित्व बचाने के लिए करना होगा संघर्ष

अहोना मुखर्जी

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए केंद्र सरकार का प्रस्तावित मुफ्त कोचिंग नेटवर्क देश के कोचिंग बाजार को पूरी तरह बदल कर रख देगा। इससे जहां छोटे और मझोले निजी कोचिंग केंद्रों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव बढ़ेगा वहीं ऑनलाइन पढ़ाई पर ज्यादा छात्रों का जोर रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव निजी कोचिंग बाजार, विशेष रूप से छोटे और मझोले प्रदाताओं पर दबाव डाल सकता है, जबकि स्थापित संस्थान व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करके अपनी मांग बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। मुफ्त कोचिंग परीक्षाओं की तैयारी में लागत की बाधा को जरूर तोड़ सकती है लेकिन इसमें यह गारंटी नहीं होगी कि सभी छात्रों को समान पाठ्यक्रम पढ़ाने से सफलता भी समान रूप से मिल पाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि उपकरणों, कनेक्टिविटी, भाषा दक्षता, शैक्षणिक नींव और तैयारी के लिए उपलब्ध समय में अंतर का असर सफलता के परिणामों पर दिखेगा।

एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सैयद सुल्तान अहमद ने कहा, ‘संसाधनों तक पहुंच और अवसर दोनों एक चीज नहीं हैं।’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि मुफ्त कोचिंग का लाभ अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचना है तो इसके लिए बहुभाषी सामग्री, ठोस मूल्यांकन प्रक्रिया, परामर्श, डाउट सॉल्विंग यानी छात्रों के मन में उठने वाले सवालों का समाधान और ऑफलाइन सुविधाएं भी देनी होंगी। टीमलीज एडटेक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनू रूज ने भी कहा कि



छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी के दौरान विभिन्न स्तरों पर पर समस्याओं के समाधान की सुविधा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, परामर्श और दूरदराज के छात्रों तक ऑनलाइन पढ़ाई के नेटवर्क का विस्तार करना होगा।

विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि सरकार की ओर से प्रस्तावित मुफ्त कोचिंग का निजी कोचिंग केंद्रों पर समान रूप से असर नहीं पड़ेगा। सुल्तान अहमद कहते हैं कि यदि सरकार अच्छे शिक्षकों का प्रबंध कर लेती है, गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध करा देती है और प्रो मॉक टेस्ट सुविधा दे देती है तो ऐसे हालात में छोटे और मझोले कोचिंग केंद्रों के समक्ष चुनौतीपूर्ण हालात बन जाएंगे, क्योंकि वे इन सुविधाओं के लिए शुल्क लेते हैं, लेकिन समान सेवाओं के लिए सरकार की मुफ्त पेशकश के बाद उनके लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा, ‘यदि कोई छात्र बिना किसी शुल्क के एक अच्छा शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण सामग्री और मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकता है, तो किसी मझोले कोचिंग सेंटर के लिए

उसी व्याख्यान के लिए शुल्क लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा।’ अहमद ने बताया कि बड़े संस्थान अपनी मांग बनाए रख सकते हैं, क्योंकि छात्र और माता-पिता संचर्चना, अनुशासन, व्यक्तिगत ध्यान, परामर्श और डाउट सॉल्विंग के लिए भी भुगतान करते हैं। शांतनू रूज ने भी कहा कि फौरी तौर पर कोचिंग सेंटर बंद होने या दूसरी जगह चले जाने जैसा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल कोचिंग की कीमत पर अधिक असर पड़ने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा, ‘मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के मूल्य और सामग्री उपलब्ध कराने में प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाले छोटे कोचिंग केंद्रों पर सबसे पहले असर पड़ सकता है, जबकि बड़े संस्थान छात्रों के साथ सीधा जुड़ाव, पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल और बेहतर परिणाम जैसी सुविधाओं से तुलना कर मोटी फीस लेने को जायज ठहरा सकते हैं।’ जी ग्रुप होल्डिंग्स में वरिष्ठ उपाध्यक्ष (सेल्स) विजय वसंत ने भी यही कहा कि सरकार की प्रस्तावित मुफ्त कोचिंग का असर छोटे और मझोले कोचिंग केंद्रों पर दिखेगा, जबकि अपनी बेहतर सुविधाओं के बल पर बड़े संस्थानों की मांग बनी रहेगी। एक और खास बात यह कि कोचिंग की सुविधाएं बढ़ने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ सकती है। वसंत ने तर्क दिया कि आसानी से ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलने से अधिक युवाओं, विशेष रूप से छोटे शहरों के छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बैठने और एक से अधिक बार प्रयास करने का हिंसला मिलेगा। इसका सीधा प्रभाव सरकारी नौकरियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के रूप में दिखेगा।



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
द्वितीय तल, मुख्य संख्या-151, सेक्टर-44, संस्थागत क्षेत्र,
गुरुग्राम - 122003 Email: ho.it@psb.bank.in
जहाँ सेवा ही जीवन — ध्येय है

निविदा सूचना
आईटी सुरक्षा समाधान और सेवाओं की आपूर्ति, स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए बोलीदाता के चयन हेतु प्रस्ताव का अनुरोध” के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विनिर्देशों और अन्य प्रासंगिक विवरणों के लिए आरएफपी, बैंक वेबसाइट <https://punjabandsind.bank.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है।
उक्त निविदा से संबंधित आगे कोई भी संशोधन, केवल बैंक वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।
दिनांक: **19.08.2026**

सहायक महाप्रबंधक—आईटी



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
भारत का अग्रणी बैंक

<https://bankofbaroda.bank.in>

आरएफपी सूचना
बैंक ऑफ बड़ोदा, सुविधा प्रबंधन विभाग, मुंबई GeM पोर्टल के माध्यम से बैंक की बड़ोदा सन टॉवर, मुंबई और बड़ोदा भवन (प्रधान कार्यालय), वडोदरा में मौजूदा CISCO आधारित वाई-फाई सेंटअप का उन्नयन और एएमसी की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है।
विवरण बैंक की वेबसाइट <https://bankofbaroda.bank.in> के निविदा अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
निविदा में संशोधन सहित किसी भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र को केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पहले इसका संदर्भ लें।
ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 11.09.2026 को 15:00 बजे तक।
स्थान: मुंबई
तारीख: 21.08.2026

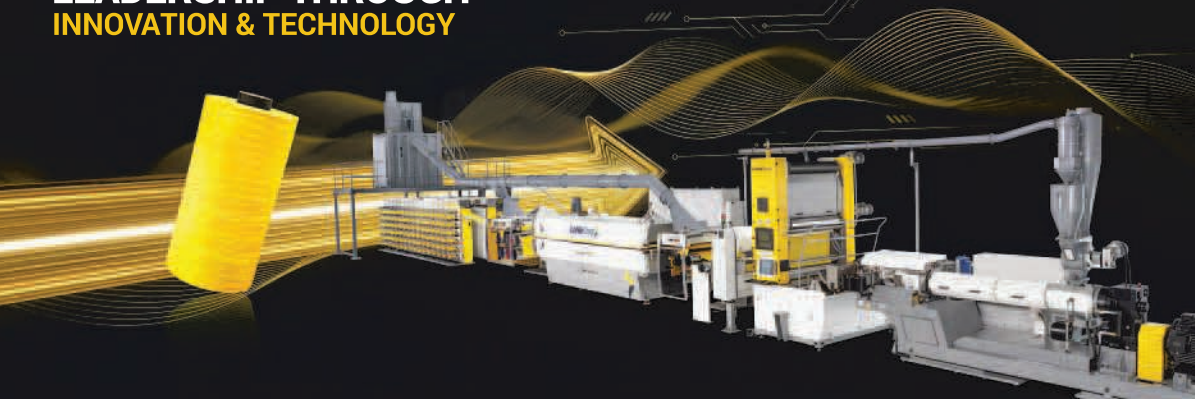
महाप्रबंधक एवं प्रमुख
(सु.प्र., सी.ओ.ए, सुरक्षा, पी.डी.ई. एवं आर.डी.पी.)

7426-27



Lohia Corp
Integrity | Quality | Value

LEADERSHIP THROUGH INNOVATION & TECHNOLOGY



REVENUE GROWTH YoY

60%

EBITDA GROWTH YoY

168%

PAT GROWTH YoY

292%

Unaudited Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter ended on June 30, 2026

(₹ in Millions)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2026 Unaudited	Quarter Ended 30.06.2025 Unaudited	Year Ended 31.03.2026 Audited
1.	Total Income	5,095.80	3,190.13	17,378.70
2.	Earnings before Interest, Tax, Exceptional Items, Depreciation and amortisation (EBITDA)	1,067.38	398.85	3,394.51
3.	Profit before tax for the period/ year	912.64	234.83	2,650.39
4.	Profit for the period/ year	662.61	168.85	1,934.52
5.	Total Comprehensive Income for the period/ year [Comprising profit for the period/ year after tax and Other Comprehensive Income (net of tax)]	676.37	173.63	1,884.78
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- Per Share)	-	-	105.65
7.	Reserves and surplus	-	-	5,109.92
8.	Earning Per Share (of Rs. 1/- each) (Not annualized except year ended) - Basic and Diluted	6.27	1.60	18.31

Note: The above is an extract of the detailed Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Financial Results (consolidated and standalone) are available on the Stock Exchange websites:- www.nseindia.com, www.bseindia.com and on Company's website: www.lohiagroup.com. The same can also be accessed by scanning the given QR code.

Place : Kanpur
Date : August 19, 2026



For Lohia Corp Limited
Sd/-
Raj Kumar Lohia
Chairman and Managing Director
DIN: 203659

Lohia Corp Limited

CIN: U28261UP2023PLC183476

Registered Office: D-3/A, Panki Industrial Estate, Kanpur - 208 022, Uttar Pradesh, India

Corporate Office & Works: Lohia Industrial Complex, Chaubeapur, Kanpur - 209 203, Uttar Pradesh, India

Ph. No. : +91-512-3536111, +91-512-3123222 | Web: www.lohiagroup.com | Email: investors@lohiagroup.com

